

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] No. 77] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/4.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त) और खंड (ब) के साथ पठित उसकी उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. **सक्षिप्त नाम, प्रारंभ और आवेदन**.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, **2015** है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

विनियम का उद्देश्य संकलनकर्ता के रजिस्ट्रीकरण और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए विनियामक रूपरेखा प्रदान करना है।

(3) ये विनियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एन.पी.एस.-लाइट (जिसे एनपीएस स्वावलंबन भी कहा गया है) को लागू होंगे, जो कि एक कम लागत का आशावान विशेषक समूह का माडल है, जो समाज के असंगठित और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए लक्षित है। ये विनियम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से "भारत सरकार की स्वावलंबन स्कीम" के कार्यान्वय को भी लागू होंगे।

1121 GI/2015 (1)

- 2. **परिभाषाएं.—(1)** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) ''अधिनियम'' से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है:
- (ख) ''संकलनकर्ता'' से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन के अधीन अभिदाता के अंतरानीक कृत्यों को करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जिसका कुछ सामाजिक-आर्थिक वस्तुओं या सेवाओं के लिए ज्ञात ग्राहक आधार के साथ कृत्यकारी संबंध होगा।
- (ग) "संपरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन कंपनी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए अर्हित है ;
- (घ) "भारत का नागरिक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन भारत का नागरिक होने के लिए अर्हित है ;
- (ड.) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (च) ''अनुपालन अधिकारी'' से संकलनकर्ता से उत्तरदायी ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उस रूप में पदाभिहित और अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों या अनुदेशों का उसके द्वारा अनुपालन किया जाना जिसमें अभिदाताओं की शिकायत का निवारण शामिल है, को मानीटर करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;
- (छ) ''विनिधान मार्गदर्शक सिद्धांत'' से लागू विनिधान प्रतिमान/तरीका और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत और परिपत्र अभिप्रेत है ;
- (ज) ''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाइट" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसमें असंगठित सेक्टर से, जिसकी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् एक ऐसी संघटक है जिसमें भारत सरकार का अभिदाय अनुज्ञेय है, संबंधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आशावान समूह माडल की एक विशेषता का उपबंध किया गया है;
- (झ) "प्रधान अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो संकलनकर्ता के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—
 - (i) किसी भागीदारी समुत्थान की दशा में, कोई भागीदार ;
 - (ii) किसी निगमित निकाय की दशा में, पूर्णकालिक निदेशक, कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक;
 - (iii) कोई मुख्य कर्मचारी ; और
 - (iv) संकलनकर्ता द्वारा प्रधान अधिकारी के रूप में पदाभिहित कोई व्यक्ति;
 - (v) ''अनुसूची'' से इन विनियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमश: उनका अधिनियम में है।

अध्याय 2

संकलनकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

- 3. संकलनकर्ता के रूप में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए पात्रता मानदंड.—(1) रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए इन विनिमयों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, निम्नलिखित इकाइयां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन संकलनकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के लिए पात्र होंगी :--
 - (क) केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन ज्ञात हिताधिकारी समूहों के लिए पेंशन स्कीमों का प्रबंध करने वाले नोडल कार्यालय या इकाइयां ;
 - (ख) अनुसूचित बैंक,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ;
 - (ग) भारतीय डाक;
 - (घ) बीमा कंपनियां ;
 - (ङ) सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) ;
 - (च) गैर-बैंककारी वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) ;
 - (छ) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ;
 - (ज) राष्ट्रीय –ई- शासन योजना के अधीन समान सेवा केंद्र चलाने वाली इकाइयां ;
 - (झ) आवास वित्त संस्थाएं ;
 - (অ) कोई अन्य प्रवर्ग, जो प्राधिकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- (2) उपविनियम (1) के खंड (क) और खंड (ग) में वर्णित केंद्रीय और राज्य सरकारों की इकाइयों के अतिरिक्त, संकलनकर्ता की भूमिका अपनाने की वांछा करने वाली इकाइयों से निम्नलिखित किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया जाना अपेक्षित होगा. अर्थात :--
 - (क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) (जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के राज्यीय संशोधन भी सम्मिलित हैं);
 - (ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) ;
 - (ग) पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का 14) ;
 - (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) (धारा 25, पूर्त अथवा अन्य कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए) ;
 - (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) [भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक प्रमाणन सहित (गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए];
 - (च) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013, किसी अन्य कंपनी के लिए ;
 - (छ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) ;
 - (ज) किसी अन्य विनिर्दिष्ट हिताधिकारी समृह के लिए राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा सुजित इकाइयां ;
 - (झ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित इकाइयां ;
 - (অ) कोई अन्य अधिनियम या नियम, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

- (3) ऐसी कोई अन्य इकाई या इकाइयों के समूह को, जो उपिवनियम (2) के उपबंधों के अधीन नहीं आता है, रिजस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, यदि प्राधिकरण की राय यह है कि ऐसी इकाई या इकाइयों का समूह, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन के अधीन अपने अभिदाता आधार को सिम्मिलित किए जाने को सुकर बनाता है और जिसने अपने प्रचालन क्षेत्र में प्रमाणित बेहतर रिकार्ड के साथ क्षमता सिद्ध की है।
- (4) ऐसी इकाई आवेदन की तारीख तक कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रमाणित बेहतर रिकार्ड सिहत वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों के कारबार में रहा हो। इकाई वित्त रूप से सुदृढ़ हो और उसे आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में कम से कम गत तीन वर्षों में कोई हानि न हुई हो और उसे आवेदन की तारीख को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों में कोई नकद हानि न हुई हो।
- (5) इकाई का एक प्ररूपिक शासन ढांचा (बोर्ड, प्रबंध समिति या उसके समतुल्य तंत्र) होगा और बोर्ड के सदस्यों के पास वित्तीय क्षेत्र या सामाजिक विकास में पर्याप्त अनुभव हो । बोर्ड, प्रबंध समिति या उसके समतुल्य तंत्र संबंधित अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अधीन अंतर्विष्ट उन उपबंधों का, जो उपविनियम (2) में उनके सामने यथावर्णित ऐसी इकाइयों को लागू होते हैं, पालन करेगा।
- (6) इकाई से यह अपेक्षित होगा कि उसका उस अधिनियम के अधीन, जिसमें वह कार्य कर रही है, बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन एक संपरीक्षा समिति या समतुल्य तंत्र हो ।
- (7) इकाई निम्नलिखित शुद्ध मालियत मानदंड को पूरा करेगी :-
 - (क) एक करोड़ रुपए, उनके लिए जो पांच वर्ष से अधिक से कारबार में लगी हुई हैं ;
 - (ख) उन इकाइयों के लिए, जिनका अपवादात्मक बेहतर रिकार्ड और दस वर्ष से अधिक का अनुभव है, शुद्ध मालियत मानदंड को वांछित मामलों में जैसे प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाएं, पचास लाख रुपए तक शिथिल किया जा सकता है।
- (8) इकाई के पास अपने संगठन के लिए उपयुक्त बृहत् ग्राहक डाटा आधार के प्रबंध करने की तथा अन्य प्रौद्योगिकी सन्नियमों को, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, पूरा करने का सामर्थ्य होगा।
- (9) इकाई के पास प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद होगा और ऐसा पर्याप्त सामर्थ्य होगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (10) इकाई के पास ऐसी नकद समुच्चयन और प्रेषण सामर्थ्य होगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (11) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा या न्यायालय द्वारा कोई भी दोषसिद्धि और अवरोध आदेश नहीं किए गए हों। इस आधार पर और रजिस्ट्रीकरण के आवेदन से संबंधित किसी संदेह या विरोध की दशा में प्राधिकरण का विनिश्चय आबद्धकर होगा।
- (12) इकाई अपने अंतर्निहित अभिदाताओं के प्रति स्कीम का विस्तार करने के लिए कारबार योजना उपलब्ध कराएगी।
- (13) प्राधिकरण, यदि वह ठीक समझे, उन इकाइयों की दशा में, जो पूर्णत: या भागत: केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं या जिनको केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अधीन सृजित किया गया है, या किसी अन्य प्रमाणित बेहतर रिकार्ड इकाई की दशा में, ऐसे मामले दर मामले के आधार पर, जो अभिदाताओं के हित में या देश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक समझा जाए, कुछ या संपूर्ण पात्रता मानदंडों को शिथिल कर सकेगा।

- 4. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से ही, संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला आवेदक प्राधिकरण को इन विनियमों की अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्रक या अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्रख में अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ आवेदन करेगा।
- (2) ऐसे आवेदन को, जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो या इन विनियमों की अनुसूची 1 में, यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्रक अथवा अनुसूची 2 में, यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र ख में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो, नामंजूर किया जा सकता है :

परंतु ऐसे किसी आवेदन को नामंजूर करने के पूर्व आवेदक को सभी प्रकार से भरने और गलतियों को, यदि कोई हों, दूर करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

- (3) ऐसा कोई संकलनकर्ता, जिसे अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के ठीक पूर्व अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उस रूप में कृत्य करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने से नब्बे दिन की अवधि तक या यदि वह इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण दिए जाने का आवेदन करता है तो प्राधिकरण द्वारा उसको आवेदन का निपटारा किए जाने तक, उस रूप में कृत्य करना जारी रख सकेगा।
- 5. **आवेदन फीस** –आवेदक, आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन तथा प्रशासनिक फीस के मद्दे दस हजार रुपए की अप्रतिदेय फीस का संदाय करेगा। आवेदन फीस प्राधिकरण को अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति में संदत्त की जाएगी। प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विनिर्दिष्ट और यथोचित मामलों में आवेदन फीस के संदाय की अपेक्षा का अधित्यजन कर सकेगा।
- **6**. **सूचना का प्रकटन**—(1) प्राधिकरण को आवेदक द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर, प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वेबसाइट पर ऐसी सूचना डालकर जनसाधारण को प्रकट करने का अधिकार होगा :

परंतु आवेदक द्वारा दी गई अन्य सुसंगत सूचना और जो आवेदक की वाणिज्यिक विश्वसनीयता और निजी सूचना से, जिसे वह गोपनीय बताए, संबंधित है, प्राधिकरण द्वारा, किसी विधि या नियमों या विनियमों के उपबंधों के या, यथास्थिति, किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा उद्घोषित किसी आदेश या विनिश्चय के, जो ऐसे प्रकटन को आज्ञापक बनाता हो, अधीन रहते हुए प्रकट नहीं की जा सकेगी।

- (2) इन विनियमों के अधीन दी गई या वेबसाइट पर डाली गई सूचना में किसी भी तात्त्विक परिवर्तन की सूचना आवेदक द्वारा तुरंत, किंतु ऐसे परिवर्तन के होने के पन्द्रह दिन के अपश्चात्, दी जाएगी।
- 7. सूचना का स्पष्टीकरण और सत्यापन—(1) प्राधिकरण, आवेदक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने संबंधी आवेदन के निपटारे के प्रयोजन के लिए और तत्पश्चात्, ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए, कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा। आवेदक या उसका प्रधान अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, आवेदन के संबंध में किसी व्यक्तिगत अभ्यावेदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।
- (2) आवेदक ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण, प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्राधिकरण द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा।
- (3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन, दी गई सूचना और उसकी पात्रता पर विचार करते समय, प्राधिकरण, यदि वह ऐसी वांछा करे, दस्तावेजों और कार्यालय स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर सूचना को सत्यापित कर सकेगा और कार्यालय स्थल की उपलब्धता का निरीक्षण कर सकेगा।
- (4) उपविनियम (3) के अधीन, के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण संपरीक्षक सहित किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।
- **8. आवेदन पर विचार किया जाना और उसका मूल्यांकन**—(1) प्राधिकरण, आवेदक की पात्रता तथा ऐसे आवेदक को प्रमाणपत्र दिए जाने पर विचार करते हुए, उन सभी विषयों को ध्यान में रखेगा, जो वह पेंशन सेक्टर और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् से सुसंगत समझे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, किंतु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं,--

- (क) क्या आवेदक के विरुद्ध, पिछले पांच वर्षों में अधिनियमों, नियमों, किसी विनियामक या अन्य प्राधिकरण के विनियमों और उपविधियों के अधीन, जो उसे लागू हो, जांच की किन्ही प्रमुख कार्यवाहियां की गई है या उसका अन्वेषण किया गया है;
- (ख) क्या आवेदक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है;
- (ग) क्या आवेदक को प्रमाणपत्र का दिया जाना अभिदाताओं के हित में है।

यदि प्राधिकरण, इस उपविनियम के अधीन आवेदन पर विचार करते समय उचित समझे, प्राधिकरण द्वारा अवधारित तारीख, समय और स्थान में प्रस्तुतिकरण करने के लिए आवेदक को आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे प्रस्तुतिकरण का प्रयोजन आवेदकों को, प्राधिकरण को अपने प्रस्ताव और अपने प्रस्तावों की प्रमुख सत्वों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात करने का है।

- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के ऐसे किसी भी आवेदन को,--
 - (क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और अपेक्षाओं तथा इस विनियमों में विनिर्दिष्ट सुसंगत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है :
 - (ख) जिसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं है ; या
 - (ग) जो अशुद्ध, मिथ्या या भ्रामक प्रकृति का है ;
 - (घ) जहां आवेदक ने इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है;
 - (ङ) जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हित में नहीं है या पेंशन सेक्टर तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमिक विकास के उद्देश्यपरक हित में नहीं है ;
 - (च) जहां आवेदक इन विनियमों की अनूसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप क या अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप ख में यथाकथित 'योग्य और सम्चित व्यक्ति' नहीं है,

प्राधिकरण द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसके द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा।

- (3) आवेदन नामंजूर किए जाने के पूर्व, आवेदक को उन किमयों को, जिन्हें दूर किया जा सकता है, तत्प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने के लिए लिखित में अवसर दिया जाएगा :
- परंतु जहां आवेदन इस कारण से नामंजूर किया जाता है कि इसमें मिथ्या या भ्रामक जानकारी अंतर्विष्ट है, वहां ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा और आवेदक इन विनियमों के अधीन या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक कोई आवेदन नहीं करेगा।
- (4) ऐसे आवेदक के संबंध में, जो आरंभिक मूल्यांकन के पश्चात् सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, प्राधिकरण आवेदक के कार्यालय में ऐसी तारीख को और समय पर, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, सम्यक् तत्परता बरतेगा ।
- (5) प्राधिकरण, उपविनियम (4) के प्रयोजनार्थ, ऐसी सम्यक् तत्परता बरतने के लिए, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो उसके अधिकारियों तक सीमित नहीं होगी,।
- (6) इस विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने संबंधी आवेदन का, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, प्राधिकरण द्वारा सामान्यता ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा।
- 9. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जाना—(1) प्राधिकरण, इस बात का की संतुष्टि होने पर कि आवेदक पात्र है, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा और इस बारे में आवेदक को सूचना भेजेगा :
- परंतु यह तब जबिक आवेदक ने रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के पूर्व एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की फीस का संदाय कर दिया हो । प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विनिर्दिष्ट और उपयुक्त मामलों में रिजस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने की अपेक्षा का अधित्यजन कर सकेगा । इसके अतिरिक्त, जहां प्राधिकरण या किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित है जिसके परिणामस्वरूप रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है, वहां प्राधिकरण सशर्त रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा ।
- (2) अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन किसी संकलनकर्ता को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जब तक प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए तब तक विधिमान्य बना रहेगा।

- 10. वे शर्तें, जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा.—(1) प्राधिकरण द्वारा संकलनकर्ता को अनुदत्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--
 - (क) जहां मध्यवर्ती अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, वहां वह अपनी प्रास्थिति या गठन में ऐसे परिवर्तन के पश्चात् संकलनकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;
 - (ख) वह सुसंगत विनियमों के अनुसार लागू फीसों का संदाय करेगा;
 - (ग) वह ऐसी रकम का, जो उसकी बाध्यताओं के निर्वहन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिभूति निक्षेप प्राधिकरण के पास रखेगा :
 - (घ) वह अधिनियमों, नियमों, विनियमों के उपबंधों, ऐसे निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों को, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, से आबद्धकर होगा ;
 - (ड.) वह ऐसी सभी शर्तों और अपेक्षाओं से, जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन् स्कीम के प्रचालन के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए, आबद्धकर होगा ;
 - (च) वह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा ;
 - (छ) वह अपनी बाध्यताओं के प्रभावी निर्वहन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अन्य मध्यवर्तियों के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करारों का, जो आवश्यक समझे जाएं, निष्पादन करेगा :

परंतु प्राधिकरण या भारत सरकार ऐसी अन्य और अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो वह अभिदाताओं के हित में तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमिक विकास के लिए ठीक समझे ।

(2) संकलनकर्ता, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या प्राधिकरण द्वारा अंतिम बार स्वीकृत नवीकरण फीस के संदाय की तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पूर्व नब्बे दिन के भीतर, पच्चीस हजार रुपए की नवीकरण फीस सहित विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन करेगा। प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भी नवीकरण फीस का संदाय किए जाने की अनुज्ञा, प्रतिमाह एक हजार रुपए की अतिरिक्त फीस का संदाय करने के अध्यधीन, दे सकेगा। तथापि, विनिर्दिष्ट तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् नवीकरण फीस का संदाय करने लिए समय बढ़ाए जाने संबंधी कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परंतु प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विनिर्दिष्ट और उपयुक्त मामलों में नवीकरण फीस का संदाय करने की अपेक्षा का अधित्यजन कर सकेगा।

- (3) संकलनकर्ता द्वारा नवीकरण फीस का संदाय करने के लिए फाइल किया जाने वाला आवेदन अनुसूची 5, प्रपत्र ग में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा।
- 11. रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इन्कार किए जाने का प्रभाव.— (1) जहां इन विनियमों के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्, विनियम 4 के उपविनियम (3) के अधीन निर्दिष्ट कोई संकलनकर्ता रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असफल रहा है या कोई विद्यमान संकलनकर्ता इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र का नवीकरण (अनुज्ञा) अभिप्राप्त करने में असफल रहा है या उसे वह अनुदत्त करने से इंकार किया गया है या उसने अपना प्रमाणपत्र या अनुज्ञा अभ्यर्पित कर दी है या न्यायालय के किसी आदेश द्वारा उसे परिसमापन करने का निदेश दिया गया है, वहां ऐसा संकलनकर्ता -
 - (क) ऐसे संकलनकर्ता के रूप में कार्य करने से तुरंत प्रविरत हो जाएगा ;
 - (ख) अपने क्रियाकलाप ऐसे किसी अन्य संकलनकर्ता को अंतरित करेगा जिसे संकलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और अभिदाताओं को प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित अन्य संकलनकर्ता के पास जाने को अनुज्ञात करेगा;
 - (ग) संकलनकर्ता द्वारा उपगत या गृहीत दायित्व, यदि कोई हो, के बारे में उपबंध करेगा ;

- (घ) ऐसी अन्य कार्रवाई ऐसी समय-सीमा के भीतर और ऐसी रीति में करेगा, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।
- (2) इन विनियमों के अधीन किसी विद्यमान संकलनकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या उसका नवीकरण किए जाने से इंकार करते समय, संकलनकर्ता के अभिदाताओं के हित की संरक्षा के लिए उस इकाई पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उन शर्तों का पालन किया जाएगा।
- 12. संकलनकर्ता द्वारा प्रतिभूति निक्षेप का प्रस्तुत किया जाना.—(1) संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक इकाई से अपनी शुद्ध मालियत का एक प्रतिशत या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर प्रतिभूति निक्षेप प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी। अधिकतम प्रतिभूति निक्षेप बीस लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा। प्रतिभूति निक्षेप किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से मांगदेय ड्राफ्ट, बैंक प्रत्याभूति के रूप में या किसी अन्य रूप में होगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) कोई भी संकलनकर्ता, जब तक अभिदाता रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि वह उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभृति निक्षेप प्राधिकरण के पास जमा नहीं करा देता है।
- (3) यदि प्राधिकरण की प्रथमदृष्टया यह राय है कि संकलनकर्ता रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन या अनुपालन करने में असमर्थ है या उसने अधिनियम, नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण किया है, तो प्राधिकरण ऐसे संकलनकर्ता के विरुद्ध कोई जांच या अन्वेषण के लंबित रहने तक अंतरिम उपाय के रूप में प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने का निदेश दे सकेगा। प्रतिभूति निक्षेप के आगमों का उपयोग उक्त संकलनकर्ता के अभिदाताओं के हित की संरक्षा के लिए ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा उचित समझी जाए, करने के लिए किया जा सकेगा। ऐसा किसी अन्य ऐसी कार्रवाई के अतिरिक्त होगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन संकलनकर्ता के विरुद्ध की जा सकेगी।
- (4) जहां प्रतिभूति निक्षेप को उप-विनियम (3) के अधीन उपबंधित रूप में जब्त किया गया है वहां प्राधिकरण संकलनकर्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप देने का निदेश दे सकेगा और संकलनकर्ता उसे अपनी बाध्यताओं के सम्यक् पालन के लिए देगा।
- **13. संकलनकर्ता के लिए राजस्व माडल.**—(1) संकलनकर्ता को अपनी स्वयं की फीस या अपने सेवा प्रभारों के मद्दे अभिदाता से कोई राशि संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।
- (2) संकलनकर्ता कारबार के प्रत्येक संपूरित वर्ष के पश्चात् या ऐसे अंतराल पर, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, एक नियत राशि प्राप्त करेगा और उसका विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ''अभिदाता अर्जन और प्रतिधारण माडल'' पर किया जाएगा।
- (3) पारिश्रमिक ऐसे प्रत्येक व्यष्टिक अभिदाता पर आधारित होगा जो वर्ष के दौरान स्कीम के अधीन स्वावलंबन् सह-अभिदाय प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। स्वावलंबन् स्कीम के अधीन पात्रता-शर्त का विनिश्चय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण द्वारा पारिश्रमिक का संदाय प्रत्येक संकलनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दावे के आधार पर किया जाएगा। दावा प्रस्तुत किए जाने, उसके सत्यापन और पश्चात्वर्ती संदाय की प्रक्रिया ऐसी होगी जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय 3

संकलनकर्ता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- 14. संकलनकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्वण.-(1) संकलनकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--
 - (क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का तथा अपने संघटक समूह सदस्यों के बीच वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता का संवर्धन ;

- (ख) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन भावी अभिदाताओं के संबंध में 'अपने ग्राहक को जानो' की अपेक्षा का अनुपालन;
- (ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् अभिदाताओं की दशा में 'अपने ग्राहक को जानो' की अपेक्षाएं वे होंगी जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं;
- (घ) निधि का अंतरण और डाटा अपलोड ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो समय-समय पर विहित की जाए, किए जाने के उत्तरदायित्वों का निर्वहन;
- (ङ) अभिदाताओं से अभिदायों का संग्रहण और उसका न्यासी बैंक को प्रेषण सुनिश्चित किया जाना;
- (च) निधि के संग्रहण के समय अभिदाता को रसीद जारी करना और उसका समुचित समन्वयन;
- (छ) अपने अंतर्निहित अभिदाताओं को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जैसा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आज्ञापक बनाया गया है;
- (ज) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतों का संचालन और उनका समाधान;
- (झ) स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक कार्ड और संव्यवहार-निव रण अथवा किसी अन्य दस्तावेज का ऐसी समय-सीमा के अंतर्गत, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, अभिदाताओं को प्रेषण;
- (ञ) कोई अन्य उत्तरदायित्व जो प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हित की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकलनकर्ता को सौंपा जाए;
- (ट) अपने अभिदाताओं को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् पर अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक आधार पर अपनी वेबसाइट को अद्यतन बनाना ।
- (2) उप-विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संकलनकर्ता द्वारा निम्नलिखित निधि संग्रहण कृत्यों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (क) संकलनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि उसके अंतर्विहित अभिदाताओं के लिए विश्वसनीय संग्रहण अवसंरचना उपलब्ध हो ;
 - (ख) प्रत्येक संकलनकर्ता "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-संकलनकर्ता का नाम-संग्रहण खाता-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास" के नाम में एक संग्रहण खाता खोलेगा जिसके लिए संबंधित संकलनकर्ता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से आवश्यक अनुमोदन और दस्तावेज अभिप्राप्त करने होंगे। ऐसे खाते के प्रचालन के ढंग और पद्धित के संबंध में मागदर्शक सिद्धांत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
 - (ग) ''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संग्रहण केंद्रों" द्वारा संगृहीत रकम नियमित रूप से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समयानुसार संकलनकर्ता के अभिहित खाते में अंतरित की जाएगी ;
 - (घ) संकलनकर्ता का निगरानी कार्यालय और उसका अनुपालन अधिकारी संपूर्ण निधि संग्रहण प्रक्रिया पर आवश्यक सतर्कता और सम्यक् तत्परता सुनिश्चित करेगा और उसके लिए उत्तरदायी रहेगा ;
 - (ङ) नकदी संग्रहण और अंतरण-प्रक्रिया में हुई सभी चूकों से अभिदाताओं को होने वाली हानि की संकलनकर्ता द्वारा सर्वप्रथम भरपाई की जाएगी और उसमें असफल रहने पर उस हानि की भरपाई संबंधित संकलनकर्ता के प्रतिभूति निक्षेप या उसे देय पारिश्रमिक, यदि कोई हो, से की जाएगी ।

- (3) प्रत्येक संकलनकर्ता ऐसी सभी प्रचालनों और अन्य अपेक्षाओं, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से करार करेगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को नियमित अंतरालों पर अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- **15. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् के अधीन विनिधान विकल्प**.-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् के अधीन निम्नलिखित विनिधान विकल्प उपलब्ध होंगे :--
 - (क) प्राधिकरण, अपने विवेकानुसार और अभिदाताओं के हित में विनिधान के लिए आस्ति-वर्गों का एक पूर्व-निर्धारित समूह विनिर्दिष्ट करेगा ;
 - (ख) अभिदाता को संकलनकर्ता के माध्यम से मिश्रित विनिधान और पेंशन निधि चुनने का विकल्प प्राप्त होगा ;
 - (ग) पेंशन निधि में परिवर्तन करने का विकल्प एक निश्चित कालावधि पर और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में उपलब्ध होगा ।
- **16. सुविधा प्रदाता को काम पर लगाना.**—(1) संकलनकर्ता, अपने विवेकानुसार, लक्ष्यत समूह के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् के प्रचालन के लिए एक दूसरे अनुमोदित संकलनकर्ता की सेवाएं "सुविधा प्रदाता" के रूप में ले सकता है।
- (2) सुविधा-प्रदाता वित्तीय सेवा या वित्तीय उत्पाद सेक्टर में लगा कोई संगठन या इकाई हो सकता है और वह भारत में किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के पास रजिस्ट्रीकृत होगा। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन ज्ञात हिताधिकारी समूहों के लिए कितपय स्कीमें चलाने वाले नोडल कार्यालयों या इकाइयों को भी सुविधा प्रदाता के रूप में काम पर लगाया जा सकता है।
- (3) किसी व्यक्ति को सुविधा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, सिवाय कारबार सह-संबंधी, जिनको बैंक अपने विवेकानुसार सुविधा-प्रदाता के रूप में काम पर लगा सकते हैं।
- (4) संकलनकर्ता और सुविधा-प्रदाता के बीच उनके कृत्यों, उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् से उद्भूत पारस्परिक दायित्वों की परिधि को विनिर्दिष्ट करने के लिए काम पर लगाने के निबंधनों और शर्तों का विनिश्चय औपचारिक समझौता-ज्ञापन अथवा संविदा के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा संकलनकर्ता, जो सुविधा-प्रदाता को काम पर लगाता है, सुविधा-प्रदाता द्वारा प्रणाली और प्रचालन स्तरीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।
- (5) संकलनकर्ता सुविधा प्रदाता द्वारा किए गए सभी कार्यों या लोपों के लिए उत्तरदायी होगा।
- 17. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति.- (1) प्रत्येक संकलनकर्ता अपने प्रबंधन स्तर के ज्येष्ठ अधिकारियों में से एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों का संकलनकर्ता द्वारा पालन किए जाने को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अनुपालन अधिकारी, ऐसे किसी अननुपालन की, जो उसके देखने में आई है, प्राधिकरण को तत्काल और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करेगा।
- **18. बहियों और अभिलेखों को बनाए रखना.—** (1) प्रत्येक संकलनकर्ता द्वारा निम्नलिखित लेखा बहियां बनाए रखी जाएंगी.-
 - (क) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त रजिस्ट्रीकरण आवेदनों को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को भेजना तथा ऐसे सभी आवेदकों के लिए जिनत्र स्थायी निवृत्ति खाता संख्यांक डाटा के ब्यौरे ;
 - (ख) अभिदाताओं से नकद रूप से/मांगदेय ड्राफ्ट, चैक द्वारा या प्रेषण के किसी प्राधिकृत प्ररूप में– प्राप्त धनराशि के ब्यौरे :
 - (ग) दिन प्रतिदिन आधार पर धारित नकदी के ब्यौरे ;

- (घ) न्यासी बैंक को प्रेषित धनराशि के अभिदातावार ब्यौरे ;
- (ङ) केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को भेजे गए अनुदेशों का अभिदातावार ब्यौरा ;
- (च) उन शिकायतों के ब्यौरे, जो प्राप्त हुई हैं और जिनका निवारण किया गया है ;
- (छ) अभिदाता सेवा अनुरोधों के, जैसे कि अभिदाता अनुरोध का उपांतरण अथवा अद्यतन किया जाना अर्थात् नाम परिवर्तन का अनुरोध, अभिदाता के दावा संबंधी आवेदन और उनका केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को आगे प्रेषण किया जाना ;
- (ज) कोई अन्य ब्यौरे, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- **19. साधारण बाध्यता.**-संकलनकर्ता अपने अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवर्ष आधार पर एक प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं के बंद किए जाने के तीस दिन के भीतर, प्राधिकरण को यह प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराएगा,-
 - (क) इन विनियमों और इन सुसंगत विनियमों के अधीन कि प्रपत्र क और प्रपत्र ख में तथा सुसंगत विनियमों के अधीन किए गए सभी प्रकटन सत्य और पूर्ण हैं, सतत् आधार पर अपनी बाध्यताओं, उत्तरदायित्वों के अनुपालन और पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा किया जाना ;
 - (ख) प्रत्येक संकलनकर्ता प्रमाणपत्र की प्रति अपने सभी रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों में प्रमुखतया संप्रदर्शित करेगा ;
 - (ग) संकलनकर्ता उस अनुपालन अधिकारी का, जिसको किसी अभिदाता शिकायत की दशा में शिकायत की जा सकेगी, नाम और संपर्क के ब्यौरे भी प्रमुखतया संप्रदर्शित करेगा।
- **20. आचार संहिता.**-संकलनकर्ता विनिर्दिष्ट आचार संहिता का सतत् आधार पर पालन करेगा। संकलनकर्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् अभिदाताओं के कार्यों के प्रबंधन में हितों के परस्पर विरोध का परिवर्जन करेगा और सभी अभिदाताओं के हितों को सभी मामलों में सर्वोपिर रखेगा। अभिदाता और संकलनकर्ता तथा उसके प्रतिनिधि के बीच के हितों के बीच परस्पर विरोध होने की दशा में अभिदाता के हितों को अग्रता दी जाएगी।
- (2) अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् पर ऐसे उचित प्रकटन तंत्र के माध्यम से, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए, ऐसी अद्यतप जानकारी, जिससे कि अभिदाता अभिज्ञात विनिश्चय करने में समर्थ हो सके, उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे प्रकटन की शर्तें- ऐसा प्रकटन ऐसे प्ररूप में, ऐसी कालावधि में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए। संकलनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किन्हीं सहयुक्तों, सुविधा-प्रदाताओं या किन्हीं इकाइयों को ऐसी किसी रीति में, जो अभिदाताओं के हितों के प्रतिकूल हो, कोई असम्यक् या अनुचित लाभ नहीं दिया है।
- (3) संकलनकर्ता अपने सभी व्यौहारों के और अपने कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा और ऋजुता के उच्च मानक बनाए रखेगा। वह सभी समयों पर सेवा के उच्च मानक बनाए रखेगा, ऐसी सम्यक् तत्परता बरतेगा जिसमें कार्यकौशल और देखरेख के ऐसे मानक विवक्षित हों जो शुद्ध विपणन पद्धति, सद्भाव, ग्राहक की रूपरेखा (प्रोफाइल), अभिदाता की संकलनकर्ता पर निर्भरता की सीमा के अनुरूप हो और वह स्वतंत्र वृत्तिक विवेक बुद्धि का प्रयोग करेगा।
- (4) संकलनकर्ता किसी ऐसे अनुचित आचरण में अर्थात् ऐसे किसी कार्य या लोप में लिप्त होने से प्रतिषिद्ध है जो किसी अभिदाता के किसी ज्ञात संव्यवहारिक विनिश्चय को कम करने के सामर्थ्य को पर्याप्त रूप से कम करता है या जिससे उसके पर्याप्त रूप से कम होने की संभावना है और इसके अंतर्गत ऐसा आचरण भी है जो अभिदाताओं के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित कार्य करने में भ्रामक या अपमानजनक है—
 - (क) अभिदाता को गलत सूचना या निर्णायक कारक के संबंध में ऐसी सूचना उपलब्ध कराना, जिसके बारे में संकलनकर्ता का यह विश्वास नहीं है कि वह सही है; या

- (ख) अभिदाता को ऐसी रीति में, जो कपटपूर्ण भ्रामक है, सही सूचना उपलब्ध कराना ;
- (ग) इस बात का अवधारण करने में कि क्या आचरण इस विनियम के अधीन भ्रामक है, निम्नलिखित कारकों को निर्णायक कारक माना जा सकता है :-
 - (i) संकलनकर्ता अपनी अर्हताओं या सेवाएं प्रदान करने के सामर्थ्य या अपनी उपलब्धियों के बारे में मौखिक या लिखित कोई अतिश्योक्तिपूर्ण कथन नहीं करेगा;
 - (ii) संकलनकर्ता, सही, स्पष्ट और ऐसी समयबद्ध सूचना/डाटा के प्रसार को सुनिश्चित करेगा जो ऐसी सरल भाषा में, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, उचित रूप से प्रस्तुत की गई हो;
 - (iii) संकलनकर्ता लेखा-बिहयां और अभिलेख बनाए रखने के लिए ऐसी सर्वोत्तम पद्धितयों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंध प्रणालियों और रक्षोपायों का अनुसरण करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों को ऐसी रीति में किया जाए जो अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में हो ;
- (घ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् की मुख्य विशेषताएं, जिसके अंतर्गत अभिदाताओं के लक्षण, फायदे और जोखिम भी हैं ;
- (ड.) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् के लिए अभिदाता की जरूरतें या अभिदाता के लिए उसकी उपयुक्तता ;
- (च) किसी विधि या विनियम के अधीन अभिदाताओं के अधिकार।
- (5) संकलनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (क) उसके सभी संबंधित कार्यालयों में प्रणालियां सुस्थापित हैं ;
 - (ख) प्रमुख कार्मिक, जिनके अंतर्गत प्रचालन और अनुपालन अधिकारी भी हैं, सभी समयों पर उपलब्ध हैं । ऐसे व्यक्तियों के संपर्क के ब्यौरे प्राधिकरण को, रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर, उपलब्ध कराए जाएंगे ;
 - (ग) संकलनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और प्रमुख कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् को प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षित हैं ;
 - (घ) संकलनकर्ता से संबंधित कृत्यों की संपरीक्षा, संगठन के संपरीक्षा नयाचार में सम्मिलित है।
- (6) अनुपालन अधिकारी को नियमों और विनियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण भी है, करने को मानीटर करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- (7) अनुपालन संबंधी निर्देशिका और आंतरिक नियंत्रण तंत्र, जिसके अंतर्गत आंतरिक संपरीक्षा प्रणालियां भी हैं, यथास्थान हैं।
- (8) संकलनकर्ता को अपनी स्वयं की फीस या सेवा प्रभारों के मद्दे अभिदाताओं से कोई राशि संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।
- (9) संकलनकर्ता अंतर्निहित अभिदाताओं से निधि संग्रहण की विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
- (10) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् अभिदाता शिकायत रिपोर्टों का आवधिक पुनर्विलोकन अथवा संपरीक्षण किया जाएगा, जिससे प्राधिकरण के विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।
- (11) संकलनकर्ता समुचित और तत्पर अनुपालन तथा प्राधिकरण के अधिकारियों या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों या संपरीक्षकों द्वारा लेखा-बहियों, अभिलेखों, दस्तोवेजों और अवसंरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के किसी निरीक्षण के लिए सहायता सुनिश्चित करेगा।

- (12) संकलनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्राधिकृत शाखाओं द्वारा, जो संग्रहण केंद्र तक सीमित नहीं हैं, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17) के और उसके अधीन बनाए गए नियमों या ऐसी किसी अन्य विधि के, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, उपबंधों का अनुपालन किया जाए।
- (13) संकलनकर्ता यह करार करता है कि इस विनियम के अधीन उल्लेखित संकलनकर्ता संबंधी सेवा मानकों को पूरा करने में संकलनकर्ता की ओर से कोई विलंब होने की दशा में वह अभिदाता को इस विनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुपालन में असफल रहने के लिए ऐसे विलंब की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।
- (14) संकलनकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके अभिलेख हानि या विनाश के विरुद्ध संरक्षित रहे और यह कि अभिलेख को संरक्षित रखने की सुविधा बनाए रखने की व्यवस्था की गई है, पर्याप्त प्रक्रियाएं और सुविधाएं स्थापित करेगा।
- (15) संकलनकर्ता ऐसी किसी हानि के लिए, जो ऐसे अभिदाताओं को संकलनकर्ता के कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण घटित हुई हो, उनकी क्षतिपूर्ति करने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा।
- (16) संकलनकर्ता अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत सूचना के अप्रकटन संबंधी विनियम का अनुपालन करेगा ।

अध्याय -4

निरीक्षण और संपरीक्षा

- 21. निरीक्षण और संपरीक्षा (1) प्राधिकरण, किसी समय प्रत्यक्ष रूप से या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत इस विनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, संकलनकर्ता की लेखा बहियों, अभिलेख, जिसके अंतर्गत टेलीफोन के अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं और दस्तावेजों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा।
- (2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित भी हो सकेंगे,-
 - (क) अवसंरचनात्मक सामर्थ्य, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अभिनिश्चित करना ;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियां, अभिलेख, जिनके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं और दस्तावेजों को इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में बनाए रखा जा रहा है :
 - (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या यथोचित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों को स्थापित किया गया है और क्या संकलनकर्ता द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है ;
 - (घ) यह अभिनिश्चित करना कि अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं का पालन किया जा रहा है ;
 - (ड.) अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों, मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय पर, जो प्राधिकरण द्वारा संकलनकर्ता को सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित है, प्राप्त शिकायतों की जांच किया जाना ;
 - (च) ऐसे विषयों में, जो अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाएं, स्वतः संज्ञान से जांच किया जाना।
- (3) प्राधिकरण, उपविनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या संपरीक्षा कराने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है या किसी अन्य अर्हक संपरीक्षक को नियुक्त कर सकता है ।
- स्पष्टीकरण—इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए, 'अर्हक संपरीक्षक' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 में उसका है।
- **22.** निरीक्षण और संपरीक्षा के पूर्व सूचना (1) विनियम 21 के अधीन कोई निरीक्षण या संपरीक्षा करने के पूर्व प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक संकलनकर्ता को दस कार्य दिवस की सूचना देगा :

परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए निरीक्षण या संपरीक्षा आवश्यक है तो किसी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी।

- (2) निरीक्षण के दौरान संकलनकर्ता, जिसके विरुद्ध निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्धकर होगा।
- 23. निरीक्षण और संपरीक्षा पर संकलनकर्ता की बाध्यताएं— (1) ऐसे संकलनकर्ता का, जिसके कार्यों का निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करें और प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और सूचना दें, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए।
- (2) संकलनकर्ता प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और संकलनकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तोवजों और कम्प्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक की राय में निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए सुसंगत हों,उपलब्ध कराएगा।
- (3) संकलनकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को या संपरीक्षक को निरीक्षण या संपरीक्षा के संबंध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करे जिसकी प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करें।
- **24.** रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना (1) निरीक्षण या संपरीक्षा पूरी होने पर, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह अभिदाताओं के हित में ठीक और उचित समझे।
- (2) प्राधिकरण, यथास्थिति, स्वतः संज्ञान से या निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मामले में अन्वेषण या जांच करने का आदेश दे सकेगा ।
- **25. निरीक्षण या संपरीक्षा फीस का संदाय -** प्राधिकरण, प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किए गए निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत ऐसे व्यय संकलनकर्ता से वसूल करने का हकदार होगा।
- 26. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निरीक्षण और संपरीक्षा- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास प्रचालन सेवा स्तरीय करारों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संकलनकर्ता के निरीक्षण या संपरीक्षा का या दोनों का कार्य प्रतिवर्ष आधार पर या ऐसी अन्य अवधि पर, जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अपने हाथ में लेगा । संकलनकर्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस परिसर तक, जो उसके अधिभोग में है, लेखा बहियों, अभिलेखों तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और यथास्थिति, ऐसे निरीक्षण अथवा संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी आवश्यक जानकारी, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगा।

अध्याय -5

प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण और व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

- **27. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रहकरण या निलंबन –** (1) जहां कोई ऐसा संकलनकर्ता, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है-
 - (क) किन्हीं ऐसी शर्तों का, जिसके आधार पर उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, पालन करने में असफल रहता है ;

- (ख) इस अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों, अधिसूचनाओं, निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है;
- (ग) अनुचित व्यापारिक पद्धतियों में आलिप्त रहता है या अपना कारबार ऐसी रीति में करता है जो अभिदाताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ;
- (घ) प्रचालन क्षेत्र के संबंध में प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कोई सूचना देने में असफल रहता है;
- (ङ) अधिनियम के अधीन या प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ;
- (च) प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी जांच में सहयोग नहीं देता है;
- (छ) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत कारबार संबंधी योजना के संबंध में या सभी रजिस्ट्रीकृत संकलनकर्ता को लागू किसी अन्य समान मानदंडों के विरुद्ध संकलनकर्ता द्वारा किए गए अनेक नए अभिदाता रजिस्ट्रीकरणों के निबंधनानुसार अपने कार्य का कालिक पुनर्विलोकन करने में असफल रहता है;
- (ज) अधिनियम की धारा 28 के अधीन यथावर्णित कार्यों में कोई चूक करता है,

वहां प्राधिकरण, अधिनियम, विनियमों, उसके अधीन जारी निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसे संकलनकर्ता के रिजस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन करने या उसे प्रत्याहत करने सिहत इन विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में ऐसी कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई, जो समुचित समझी जाए, कर सकेगा।

- (2) एक बार रजिस्ट्रीकृत होने पर संकलनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन विनियमों में यथा वर्णित पात्रता की शर्तों का रजिस्ट्रीकरण अवधि और उसके विस्तार की अवधि की संपूर्ण प्रवर्तनावधि के दौरान सर्वथा पालन किया जाए, जिसमें असफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकृत संकलनकर्ता द्वारा प्राधिकरण को पात्रता की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं के बंद होने के तीस दिन के भीतर दिया जाएगा।
- (3) किसी संकलनकर्ता को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण, निलंबन किए जाने या उसे प्रत्याहृत किए जाने संबंधी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संकलनकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न कर दिया जाए।
- **28. किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण –** (1) कोई ऐसा संकलनकर्ता, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, जो अपने कार्यकलाप छोड़ना चाहता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना चाहता है, प्राधिकरण से ऐसे अभ्यर्पण का अनुरोध कर सकेगा।
- (2) इन विनियमों के अधीन ऐसे अनुरोध का निस्तारण करते समय प्राधिकरण, संबंधित संकलनकर्ता से प्राधिकरण का ऐसे कारकों पर, जो वह ठीक समझे, समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक भी सम्मिलित हैं, किन्तु ये निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं--
 - (क) संकलनकर्ता द्वारा अपने स्वयं के खर्चे और व्यय पर अधिनियम, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए की गई व्यवस्था;
 - (ख) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अभिदाता की शिकायतों का निवारण ;

- (ग) अभिदाताओं के अभिलेखों, निधियों या प्रतिभूतियों का उनके स्वयं के खर्चे और व्यय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दूसरे संकलनकर्ता को अंतरण ;
- (घ) अभिदाताओं की सतत् सेवा सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा की गई व्यवस्था ;
- (ङ) व्यतिक्रम या लंबित कार्रवाइयां, यदि कोई हों।
- (3) अभ्यर्पण संबंधी अनुरोध स्वीकार करते समय प्राधिकरण संकलनकर्ता पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समझे और संबंधित संकलनकर्ता ऐसी शर्तों का पालन करेगा।
- (4) किसी ऐसे संकलनकर्ता को उसके ऐसे प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा व्यतिक्रम के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की गई है या अनुध्यात की गई है।
- **29. प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण का प्रभाव-(1)** प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण की तारीख से ही संबंधित संकलनकर्ता -
 - (क) अभिदाताओं से कोई अतिरिक्त सुपुर्दगी नहीं लेगा या कोई धन राशि या सूचना संगृहीत नहीं करेगा। ऐसे निलंबन की अविध के दौरान वह ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था;
 - (ख) अपने अभिदाताओं को, यथास्थिति, अपनी धनराशि या सुपुर्दगियों के अंतरण करने की अनुज्ञा देगा अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, किसी अतिरिक्त खर्चे के बिना, उसे दी गई किसी सुपुर्दगी को वापस करने की अनुज्ञा देगा;
 - (ग) उसके द्वारा उपगत या कल्पित दायित्वों के संबंध में उपबंध करेगा ;
 - (घ) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा, आदेश पारित करते समय ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों तथा ऐसी सूचना या धनराशि से, जो ऐसे संकलनकर्ता की अभिरक्षा या नियंत्रण में है, संबंधित कार्रवाई भी है, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।
 - (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण या रद्दकरण या निलंबन की तारीख से ही संबंधित संकलनकर्ता -
 - (क) प्राधिकरण को, इस प्रकार रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस कर देगा और ऐसे क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के धारक होने का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा;
 - (ख) कोई ऐसा क्रियाकलाप करने से प्रविरत रहेगा जिसके संबंध में प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था ;
 - (ग) अपने क्रियाकलाप, ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाले प्राधिकरण द्वारा यथानिदेशित किसी अन्य संकलनकर्ता को अंतरित कर देगा और अपने अभिदाताओं को अपनी निधियां, बिना किसी अतिरिक्त लागत के अंतरिती इकाई को अंतरित करने की अनुज्ञा देगा ;
 - (घ) उसके द्वारा उपगत या कल्पित दायित्वों के संबंध में उपबंध करेगा ;
 - (ङ) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा आदेश पारित करते समय, ऐसी अन्य कार्रवाई, जिसके अंतर्गत अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों और सूचना या धनराशि से, जो

संकलनकर्ता अस्तित्व की अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, संबंधित कार्रवाई भी है, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।

- **30. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन-** जहां ऐसा कोई संकलनकर्ता, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है—
 - (क) ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अध्यधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है :
- (ख) अधिनियम या विनियमों के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन जारी निदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है, वहां प्राधिकरण, अधिनियम या विनियमों या उसके अधीन जारी निदेशों या परिपत्रों के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, ऐसी कार्रवाई इन विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में कर सकेगा।
- 31. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति (1) जहां अभिहित सदस्य को यह प्रतीत होता है कि संकलनकर्ता या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति ने विनियम 27 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक की है वहां वह मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।
- (2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- **32. सूचना का जारी किया जाना** (1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसा करने के युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है, तो वह संकलनकर्ता या किसी संबंधित व्यक्ति को, उससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसे अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर दिया जाए या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाए, एक सूचना जारी करेगा।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अतिक्रमण को, अधिनियम, विनियमों, निदेशों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्शित करते हुए, जिनकी बाबत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका अभ्यारोपण करने में अवलंब लिया गया है और दस्तावेजों के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्टें, जिनमें किए गए अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिए गए निष्कर्ष अंतर्विष्ट हों, उपाबद्ध की जाएंगी।
- (4) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
- **33. सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर** (1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन, उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा:

परंतु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा।

- (2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर कारण बताओ सूचना का उत्तर नहीं देता है, तो अभिहित प्राधिकारी मामले में, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई कर सकेगा और उसके समक्ष उपलब्ध सारवान तथ्यों के आधार पर ऐसा करने की सिफारिश कर सकेगा।
- **34. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई -** अभिहित प्राधिकारी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात्, जहां तथ्यों से यह अपेक्षित हो, वहां निम्नलिखित की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा -
 - (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबन ;
 - (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण ;
 - (ग) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई नया कार्य या संविदा प्राप्त करने या नवीन स्कीम प्रारंभ करने से प्रतिषिद्ध करना ;
 - (घ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती या अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर नियोजित या उसके साथ सहयोजित होने से विवर्जित करना ;
 - (ङ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी शाखा या किसी कार्यालय को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई कियाकलाप करने से विवर्जित करना :
 - (च) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देना।
- 35. सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया- (1) अभिहित प्राधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित सदस्य उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण बताओ सूचना, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी और जिसमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निदेश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, जारी करेगा।
- (2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा जो उस उत्तर पर, यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और सूचना का उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास किया जाएगा।
- (3) अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषय वस्तु सारवान रूप से समान या समरूप प्रकृति की है, सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के संबंध में एक समान आदेश पारित कर सकेगा।
- **36. आदेश की संसूचना** (1) इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा।
- (2) इन विनियमों के अधीन पारित आदेश की प्रति संकलनकर्ता या संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
- **37. शास्ति और न्यायनिर्णयन** संकलनकर्ता या किसी संबंधित व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा।

38. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील - संकलनकर्ता या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, यदि अभिहित सदस्य द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट है, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) ''अभिहित प्राधिकारी '' पद से विनियम 31 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ख) ''अभिहित सदस्य " पद से प्राधिकरण का तत्प्रयोजनार्थ अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;
- (ग) ''सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति'' पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना जारी की गई है ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

- **39. रिपोर्टे और प्रकटन -** संकलनकर्ता प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्टे प्रस्तुत या उपलब्ध कराएगा या उनका प्रकटन करेगा जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे या जिनकी वह अपेक्षा करे।
- **40. गोपनीयता** संकलनकर्ता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन उसे प्राप्त सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना की बाबत पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा । संकलनकर्ता, प्राधिकरण की पूर्व अनुमित के बिना ऐसा डाटा या सूचना विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा ।
- **41. निदेश** (1) इन विनियमों के अध्याय 5 के अधीन किसी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित में या संकलनकर्ता के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगा किन्तु वह निम्नलिखित सभी या किन्हीं तक सीमित नहीं होगा.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन अभिदाताओं से संगृहीत किन्हीं अभिदायों या धनराशि का ब्याज सहित या उसके बिना प्रतिदाय करने का संकलनकर्ता को निदेश देते हुए ;

(क) कोई अन्य ऐसा निदेश देते हुए, जो मामले की परिस्थितियों में प्राधिकरण ठीक या उचित समझे,

परंतु कोई निदेश जारी करने के पूर्व प्राधिकरण, संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि यदि परिस्थितियों में तुरंत कोई अंतरिम निदेश पारित किया जाना अपेक्षित है तो प्राधिकरण, कोई असम्यक् विलंब किए बिना निदेश पारित करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगा।

42. प्राधिकरण की स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति- इन विनियमों के लागू किए जाने या उनके निर्वचन में की किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों, अधिसूचनाओं या मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

हेमंत जी, कांट्रेक्टर अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./203/14]

अनुसूची -1

प्ररूप क

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 [विनियम 4(1) और (2) देखिए]

सरकारी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

"संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए"

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए

<संगठन का नाम>

के सदस्यों के लिए

विषय-सूची

आवरण पत्र	
सरकार या सरकार द्वारा प्रायोजित अभिकरणों के लिए संकलनकर्ता अनुपालन पन्ना	
उपाबंध 1: ग्राहक आधार और प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा	
उपाबंध 2: वाणिज्यिक उपक्रम	
उपाबंध 3: संघ (कन्सोरटियम) भागीदार के ब्यौरों की घोषणा	
आवरण पत्र	
(कंपनी के अधिकारिक पत्रक पर उपलब्ध कराया जाए)	
त	πरीख

सेवा में.

कखग

कार्यपालक निदेशक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

पहला तल, आईसीएडीआर भवन, प्लाट सं0 6

वसंत कुंज संस्थागत क्षेत्र,

फेस- 2, नई दिल्ली - 110070

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

<संगठन का नाम> के सदस्यों के लिए

महोदय/महोदया,

मैंने/हमने, अधोहस्ताक्षरी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट "संकलनकर्ताओं के लिए प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों" की समीक्षा की है और मैंने/हमने उसको समझ लिया है।

- 2. हम <संगठन का नाम> से संबद्ध राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के भावी अभिदाताओं को विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता" के रूप में रिजस्ट्रीकृत किए जाने की वांछा करते हैं। हम "संकलनकर्ता के लिए प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों" तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य संबंधित नियमों/मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- 3. मैं/हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015" में यथावर्णित सभी अपेक्षाओं को समझ लिया है और बिना शर्त उससे आबद्ध होने का करार करते हैं।
- 4. इसके अतिरिक्त, हम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में अन्य मध्यवर्तियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यदि अपेक्षित हो, पृथक् करार (करारों) पर हस्ताक्षर करने के लिए भी वचनबंध हैं।
- 5. आवश्यक ब्यौरे, समर्थक दस्तावेजों सहित, इस पत्र के साथ, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, हमारे अनुरोध पर विचार किए जाने के लिए संलग्न हैं।
- 6. मैं/हम यह जानते हैं कि प्राधिकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को स्वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अधिकार आरक्षित है।

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं और इस पत्र तथा अन्य ऐसे पत्रों/दस्तावेजों पर, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हों, हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त हूं/हैं।

हूं/हैं । तारीख	
(हस्ताक्षर)	
नाम,	(,की प्रास्थिति में)
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से
	(संगठन की सील/मुहर)

सरकार या सरकार द्वारा प्रायोजित अभिकरणों के लिए संकलनकर्ता का अनुपालन पन्ना

इकाई का नाम	
इकाई की प्रास्थिति (टिक का निशान लगाएं) संदर्भ: विनियम 3 का उपविनियम (2)	── केंद्रीय सरकार का विभाग ── राज्य सरकार का विभाग ── केंद्रीय सरकार के स्वशासी निकाय ── राज्य सरकार के स्वशासी निकाय
रजिस्ट्रीकृत पता	जन्य, यदि कोई हो (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
विद्यमान ग्राहक आधार और प्रदान की गई सेवाएं	उपाबंध 1 में ब्यौरे दिए गए हैं हां नहीं

वाणिज्यिक वचनबंध संदर्भ: विनियम 13	इकाई प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारिश्रमिक प्रास्थिति प्राप्त करने का हकदार	
तारीख (हस्ताक्षर) नाम, (संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है।	(,की प्रास्थिति में) .के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध प	
(संगठन की सील/मुहर) उपाबंध 1: द्विताधिकारी समझें तथा प्रदान की गई सेवाओं के ब्यौरे		

इकाई निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करेगा:

- विद्यमान समूहों को प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन् के लिए भावी अभिदाताओं/लक्ष्यित समुहों के ब्यौरे
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन् अभिदाता आधार के अगले पांच वर्षों के लिए प्रायोजनाएं

वर्ष 1 :

वर्ष 2 :

वर्ष 3 :

वर्ष 4 :

वर्ष 5 :

उपाबंध 2: वाणिज्यिक वचनबंध

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं तथा यह वचनबंध करने के लिए सशक्त हूं/हैं कि यदि मेरी संस्था को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन प्राधिकरण द्वारा संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है तो वह (इकाई) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई फीस/सेवा प्रभार प्रभारित नहीं करेगी ।

हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि हम इन सेवाओं के मद्दे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 में प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राशि ही प्राप्त करेंगे।

यह प्रतिबद्धता रजिस्ट्रीकरण की संपूर्ण अवधि और उसे मंजूर की गई विस्तारित अवधि के लिए विधिमान्य है। मैं/हम ऐसे अंतरालों पर, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, मेरे/हमारे संगइन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं/हैं।

[11 M G G T]
तारीख
ताराख (हस्ताक्षर)
नाम, (,की प्रास्थिति में)
(संगठन का नाम और पता)के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।
(संगठन की सील/मुहर)
अनुसूची 2 प्रपत्र
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015
[विनियम 4(1) और (2) देखिए]
गैर-सरकारी इकाइयों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन का प्रपत्र
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन "संकलनकर्ता" के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
संगठन का नामके सदस्यों के लिए
<संगठन का नाम>
विषय-सूची
आवरण पत्र
संकलनकर्ता अनुपालन पन्ना
उपाबंध 1: ग्राहक आधार के ब्यौरे और प्रदान की गई सेवाएं
उपाबंध 2: विधिक वचनबंध
उपाबंध 3: वाणिज्यिक उपक्रम
उपाबंध 4: शासन ढांचा प्रदान करने का प्ररूप
उपाबंध 5: तकनीकी और जनशक्ति क्षमता वचनबंध

आवरण पत्र

(कंपनी/अधिकारिक पत्रक पर उपलब्ध कराया जाए)

तारीख.....

सेवा में,

कखग

कार्यपालक निदेशक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पहला तल, आईसीएडीआर भवन, प्लाट सं0 6 वसंत कुंज संस्थागत क्षेत्र,

उपाबंध 6: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के लिए कारबार योजना.....

उपाबंध 7: किसी पात्रता मानदंड की छूट/शिथिलीकरण की ईप्सा करने का प्ररूप.....

फेस- 2, नई दिल्ली - 110070

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीकरण के आवेदन ।
<संगठन का नाम> के सदस्यों के लिए

महोदय/महोदया,

मैंने/हमने, अधोहस्ताक्षरी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट "संकलनकर्ताओं के लिए प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों" की समीक्षा की है और मैंने/हमने उसको समझ लिया है।

- 2. हम <संगठन का नाम> से संबद्ध राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के भावी अभिदाताओं को विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता" के रूप में सूचीबद्ध किए जाने की वांछा करते हैं। हम "संकलनकर्ता के लिए प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों" तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य संबंधित नियमों/मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- 3. मैं/हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015" में यथावर्णित सभी अपेक्षाओं को समझ लिया है और बिना शर्त उससे आबद्ध होने का करार करते हैं।
- 4. इसके अतिरिक्त, हम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में अन्य मध्यवर्तियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यदि अपेक्षित हो, पृथक् करार (करारों) पर हस्ताक्षर करने के लिए भी वचनबंध हैं।
- 5. आवश्यक ब्यौरे, समर्थक दस्तावेजों सहित, इस पत्र के साथ, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, हमारे अनुरोध पर विचार किए जाने के लिए संलग्न हैं।
- 6. मैं/हम यह जानते हैं कि प्राधिकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को स्वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अधिकार आरक्षित है। इसके टारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकटार

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं और इस पत्र तथा अन्य ऐसे पत्रों/दस्तावेजों पर, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हों, हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त हूं/हैं।

तारीख	
(हस्ताक्षर)	
नाम,	(,.की प्रास्थिति में)
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	.के लिए और उसकी ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से
	(संगठन की सील/मुहर)

II. संकलनकर्ता अनुपालन पन्ना

इकाई का नाम		
इकाई किसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (या इस अधिनियम का कोई राज्य संशोधन	ऐसे प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराई गई है
(कृपया टिक का निशान लगाएं)	 4000	हां ह
	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882	नहीं

संदर्भ: विनियम 3 का उपविनियम (2)	पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कंपनी अधिनियम, 1956 (धारा 25, अलाभार्थ कंपनियों के लिए) कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय रिजर्व बैंक से	
रजिस्ट्रीकृत पता इकाई की पृष्ठभूमि	आवश्यक प्रमाणन सहित (एनबीएफसी के लिए)	संगठन का संक्षिप्त सार (पृथक् पन्ने पर उपलब्ध
इकाई वित्तीय सेवाओं के लिए कारबार में लगी हुई है सदंर्भ : विनियम 3 का उपविनियम (4)	आवेदक की तारीख को पांच वर्ष से कम से पांच से दस वर्ष से दस से अधिक वर्ष से	कराया गया है)
आवेदन की शुद्ध मालियत सदंर्भ : विनियम 3 का उपविनियम (4)	आवेदक की तारीख को	सनदी लेखाकार से शुद्ध मालियत का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है हां नहीं
और प्रदान की गई सेवाएं इकाई की वित्तीय प्रास्थिति सदंर्भ : विनियम 3 का उपविनियम (4)	क्या इकाई को पिछले पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में हानि हुई	हैं

	कृपया उन वर्षों की संख्या विनिर्दिष्ट करें जिनमें इ हानि हुई है	काई को पिछले पांच वर्षों के दौरान
विधिक वचनबंध संदर्भ: विनियम 3 का	किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा या न्यायालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में से किसी में दंडादेश और अवरोध आदेश नहीं किए गए हैं।	कराई गई है
उपविनियम (11)		्रा नहीं
वाणिज्यिक वचनबंध संदर्भ: विनियम 13	इकाई प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारिश्रमिक प्राप्त करने की हकदार है	उपाबंध 3 में वाणिज्यिक वचनबंध उपलब्ध कराया गया है
		हां नहीं
शासन ढांचा	इकाई का एक प्रारूपिक शासन ढांचा होगा (बोर्ड, प्रबंध	उपाबंध 4 में ब्यौरा उपलब्ध
संदर्भ: विनियम 3 का उपविनियम (5)	समिति या समतुल्य) और सदस्यों को वित्तीय सेवाओं/सामाजिक विकास में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है और वित्तीय क्रियाकलाप को हाथ में लेने की पर्याप्त क्षमता है।	कराया गया है
तकनीकी और जनशक्ति क्षमता	इकाई के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का पालन करने के लिए पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना है और पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद तथा पर्याप्त सामर्थ्य है	उपाबंध 5 में वचनबंध उपलब्ध कराया गया है
संदर्भ: विनियम 3 का उपविनियम (8) और (9)		्रा हां □ नहीं
कारबार योजना संदर्भ: विनियम 3 का उपविनियम (12)	इकाई एक कारबार योजना प्रस्तुत करेगी, उपाबंध 6 उपलब्ध कराया गया है हां	
, ,	नहीं	
किसी पात्रता मानदंड की छूट/शिथिलीकरण की ईप्सा करना	क्या इकाई पात्रता मानदंड में शिथिलीकरण की ईप्सा कर रहा है, उपाबंध 7 उपलब्ध कराया गया है	
संदर्भ: विनियम 3 का उपविनियम (13)	ा हां □ नहीं	
तारीख(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) नाम, (,की प्रास्थिति में)		
(संगठन का नाम और पता)के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।		

(संगठन की सील/मुहर)

[भाग III – खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण <u>27</u>

उपाबंध 1: ग्राहक आधार और प्रदान की गई सेवाओं के ब्यौरे

सभी सेवाओं में (आवेदन की तारीख से) विद्यमान ग्राहक आधार संख्या, जो राष्ट्रीय		
पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन्के अधीन भी होगा		
विद्यमान ग्राहक आधार को प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार	वित्तीय गैर-वित्तीय	
	चित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों वित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों	
उपलब्ध कराई गई सेवाओं की सूची	(यदि आवश्यक हो तो कृपया अतिरिक्त पन्नों का प्रयोग करें)	
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन के लिए	प्रमुख कारबार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	
ग्राहक आधार की पांच वर्षीय प्रयोजनाएं (अपने प्रमुख कारबार के लिए) और लक्ष्य	वर्ष 1 :	
	वर्ष 2 :	
	वर्ष 3 :	
	वर्ष 4 :	
	वर्ष 5 :	
नकदी संभालने की क्षमता दर्शित करने संबंधी डाटा	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् कार्य को हाथ में लेने की विद्यमान सामर्थ्य और प्रस्तावित सामर्थ्य (यदि कोई हो) बढ़ाए जाने को प्रदर्शित करने के लिए कृपया ब्यौरे प्रस्तुत करें।	
ग्राहक/नकदी संभालने की क्षमता को दर्शित करने संबंधी कोई अन्य ब्यौरे		
तारीख (हस्ताक्षर)		
नाम (,की प्रास्थिति में)	
(संगठन का नाम और पता)के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।		
	(संगठन की सील/मुहर)	
उपाबंध 2: विधिक वचनबंध इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपनेनिगम/कंपनी/फर्म/संगठन/ की ओर कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं और इस आशय का वचनबंध देने के लिए सशक्त हूं/हैं कि हमारे संगठन/उसके संप्रवर्तकों/निदेशकों पर किसी न्यायालय द्वारा या किसी विनियामक/निकाय/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है और कोई मुख्य अवक्षेप पारित नहीं किया गया है।		
तारीख		
(हस्ताक्षर)		
नाम (,की प्रास्थिति में)	
(संगठन का नाम और पता)के लि प्राधिकृत है ।	ए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से	
	(संगठन की सील/मुहर)	

उपाबंध 3 : वाणिज्यिक वचनबंध

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं तथा यह वचनबंध करने के लिए सशक्त हूं/हैं कि यदि मेरी संस्था को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन प्राधिकरण द्वारा संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है तो वह (इकाई) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई फीस/सेवा प्रभार प्रभारित नहीं करेगी।

हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि हम इन सेवाओं के मद्दे इन विनियमों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता के रूप में प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियम राशि ही प्राप्त करेंगे।

यह प्रतिबद्धता रजिस्ट्रीकरण की संपूर्ण अवधि और उसे मंजूर की गई विस्तारित अवधि के लिए विधिमान्य है।

मैं/हम ऐसे अंतरालों पर, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, मेरे/हमारे संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं/हैं।

तारीख	
(हस्ताक्षर)	
नाम,	(,की प्रास्थिति में)
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से
• .	(संगठन की सील/महर)

उपाबंध 4: शासन ढांचा उपलब्ध कराने का प्ररूप

- 1. इकाई अपने शासन ढांचे के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी, जिसमें निम्नलिखित होगा : बोर्ड का ढांचा
- 2. स्वतंत्र निदेशकों की सूची (यदि इकाई को शासित सुसंगत कानून के अधीन ऐसा आज्ञापक हो)
- 3. मानीटर करने का तंत्र
- 4 नकदी संभालने/मानीटर करने का तंत्र
- 5. कपट आदि का पता लगाने/उन्हें नियंत्रित करने के लिए तंत्र
- 6. ग्राहक शिकायत निवारण प्रक्रिया
- 7 कोई अन्य सुसंगत विषय

उपाबंध : 5 तकनीकी और जनशक्ति क्षमता वचनबंध

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं और यह वचनबंध करने के लिए सशक्त हूं/हैं कि हमारी संस्था के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक तकनीकी और जनशक्ति क्षमता है।

हमारी प्रत्येक शाखा में केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण प्रणाली तक पहुंच के लिए प्रयाप्त सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना है । हमारे पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाता अभिदाय और सूचना को विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रदर्शित करने और इलैक्ट्रानिक रूप से प्रेषित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और सामर्थ्य है । हमारे पास संव्यवहार संबंधी अनुरोध प्राप्त करने, पावती जारी करने और उसे केंद्रीय अभिलेखनपाल अभिकरण प्रणाली में अपलोड करने और प्रचालन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा अधिकथित अभिस्वीकृति आदि जारी करने के लिए आवश्यक डाटा-भंडारण की कार्यालय प्रणाली, प्रक्रियाएं और साफ्टवेयर स्थापित करने का सामर्थ्य है।

मैं/हम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट निरीक्षण/सम्यक् तत्परता बरतने को सुकर बनाने का वचनबंध करता हूं/हैं।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित क्रियाकलापों में लगाए गए सभी व्यष्टियों के पास आवश्यक सामर्थ्य है और उन्हें नियोजित करने के पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन संबंधी सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा।

तारीख	
(हस्ताक्षर)	
नाम,	(,की प्रास्थिति में)
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से
	(संगठन की सील/मुहर)

उपाबंध : 6 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – स्वावलंबन् के लिए कारबार योजना

<u>उद्देश्य</u>	<u>वर्णन</u>
लक्ष्यित समूह	
प्रोन्नयन रणनीति	
वितरण युक्ति (विद्यमान कारबार और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् की समविकासिता)	
स्थायित्व अनुरक्षण युक्ति	
विशेष क्रियाकलाप, यदि कोई हों, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् को विभिन लक्ष्यित समूहों/भौगोलिक क्षेत्रों में प्रोन्नत करने के लिए हाथ में लिए जाएंगे	
कोई अन्य टिप्पणी	

तारीख		
(हस्ताक्षर)		
नाम,	(की प्रास्थिति में)	
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से इस वचन.	नबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से

(संगठन की सील/मुहर)

उपाबंध 7 : किसी पात्रता मानदंड की छूट/शिथिलीकरण की ईप्सा करने का प्ररूप

क्र.सं.	विनियम में संदर्भ (खंड सं. और पृष्ठ सं.)	विचलन की सीमा	संक्षिप्त कारण
1.			
तारीख			
(हस्ताक्षर)			

तारीख		
(हस्ताक्षर)		
नाम,	(की प्रास्थिति में)	
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्त	ाक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से
		(संगठन की सील/मुहर)

अनुसूची 3

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता)

विनियम, 2015

(विनियम 5 देखिए)

संकलनकर्ता द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को संदेय फीस

''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण'' के नाम नई दिल्ली में संदेय फीस मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में केवल दस हजार रुपए की आवेदन फीस आवेदन के साथ भेजी जाएगी ।

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण'' के नाम नई दिल्ली में संदेय फीस मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में मात्र दस हजार रुपए भेज रहा हूं/भेज रहे हैं।

संगठन का नाम	मांगदेय ड्राफ्ट संख्यांक	मांगदेय तारीख	ड्राफ्ट	की	बैंक का नाम	रकम

मैं/हम यह जानता हूं/जा	नते हैं कि आवेदन के मद्दे स	संदत्त रकम अप्रतिदेय है ।		
तारीख				
(हस्ताक्षर)				
नाम	., (,की प्रास्थिति में)		
(संगठन का नाम और पः ग्राधिकृत है ।	ता)के लिए	्और उसकी ओर से इस व	ाचनबंध पर हस्ताक्षर कर	ने के लिए सम्यक् रूप से
				(संगठन की सील/मुहर)

अनुसूची 4

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता)

विनियम, 2015

(विनियम 9 देखिए)

\sim	_						
राज	स्ट	करण	स.				

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् के लिए संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

- 1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 27 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स (इकाई का नाम) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण और कारबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र अनुदत्त करता है।
- 2. संकलनकर्ता का रजिस्ट्रीकरण कोड......है।
- 3. यह रजिस्ट्रीकरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए विधिमान्य होगा ।

तारीख:

स्थान : नई दिल्ली

आदेश द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उसकी ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुसूची 5

[विनियम 10(2) और (3) देखिए]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्रपत्रग)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् के अधीन

नवीकरणप्रपत्र

<संगठन का नाम>

क्रे

सदस्यों के लिए

विषय-सूची

आवरण पत्र
संकलनकर्ता अनुपालन पन्ना
उपाबंध 1: विधिक वचनबंध
उपाबंध 2: प्रतिभूति निक्षप वचनबंध

ज्यानंश ३ : सहित्र में अन प्रणानी प्रताननंतन कार्यथ्यान
उपाबंध 3 : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् कार्यक्षमता आवरण पत्र
(कंपनी के अधिकारिक पत्रक पर उपलब्ध कराया जाए)
तारीख
सेवा में,
कखग
कार्यपालक निदेशक
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पहला तल, आईसीएडीआर भवन, प्लाट सं. 6
वसंत कुंज संस्थागत क्षेत्र,
फेस- 2, नई दिल्ली - 110070
विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन् के अधीन संकलनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन ।
<संगठन का नाम> के सदस्यों के लिए
महोदय/महोदया, मैं/हम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 और प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा अन्य संबंधित नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों/अनुदेशों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विहित सेवाएं प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन्" के अधीन संकलनकर्ता के रूप में अपना रिजिस्ट्रीकरण बनाए रखने की वांछा करता हूं/करते हैं। 2. आवश्यक व्यौरे, समर्थ दस्तावेजों सहित, इस पत्र के साथ, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, हमारे अनुरोध पर विचार किए जाने के लिए संलग्न हैं। 3. मैं/हम यह जानते हैं कि प्राधिकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को स्वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अधिकार आरक्षित है। इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं और इस पत्र तथा अन्य ऐसे पत्रों/दस्तावेजों पर, जो रिजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हों, हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त हूं/हैं। तारीख
(संगठन का नाम और पता)के लिए और उसकी ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।
(संगठन की सील/मुहर)
इकाई का नाम और पता संकलनकर्ता अनुपालन पन्ना (संगठन की सील/मुहर)

इकाई का नाम		
आवेदन की शुद्ध	आवेदन के नवीकरण की तारीख को-	चार्टर्ड अकाउन्टेंट से शुद्ध
मालियत		मालियत का प्रमाणपत्र
सदंर्भ : विनियम 3 का	🔃 पचास लाख रुपए या उससे अधिक	उपलब्ध कराया गया है

(संगठन की सील/मुहर)

उपविनियम (7)	एक करोड़ रुपए के कारबार या उससे अधि	क	हां नहीं
इकाई की वित्तीय प्रास्थिति सदंर्भ : विनियम 3 का	क्या इकाई को पिछले पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में ह हां नहीं	हानि हुई	
उपविनियम (4)			
, ,	कृपया उन वर्षों की संख्या विनिर्दिष्ट करें जिनमें इ हुई है		
विधिक वंचनबंध	किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा या न्यायालय द्वारा		
संदर्भ: विनियम 3 का	पिछले पांच वर्षों में से किसी में दंडादेश और अवरोध	कराई	गई है
उपविनियम (11)	आदेश नहीं किए गए हैं ।		हां नहीं
पेंशन निधि और		उपाबंध	म 2 में वचनबंध दिया गया
विनियामक प्राधिकरण		है	
के नाम में किसी			हां
अनुसूचित वाणिज्यिक			हां नहीं
बैंक से बैंक			
प्रत्याभूति/सावधि			
निक्षेप/मांगदेय ड्राफ्ट के			
रूप में प्रतिभूति निक्षेप			
पिछले पांच वर्षों का		उपाबंध	म्र 3 में विवरण दिया गया है
कार्यप्रदर्शन और अगले			हां
तीन वर्षों के लिए			नहीं
प्रायोजित लक्ष्य			
तारीख			
(हस्ताक्षर)			
नाम,	(,की प्रास्थिति में)		
(संगठन का नाम और पता)के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर	हस्ताक्षर	करने के लिए सम्यक रूप से
प्राधिकृत है ।	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7119 EV 6 1			
			(संगठन की सील/मुहर)
उपाबंध 1: विधिक वचनबं	घ		
हूं/हैं और इस आशय का व द्वारा या किसी विनियामव	[ष्टि की जाती है कि मैं/हम अपनेनिगम/कंपनी/फर्म/संगठन र्क चनबंध देने के लिए सशक्त हूं/हैं कि हमारे संगठन/उसके संप्र ந/निकाय/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पिछले पांच वर्षों के गवक्षेप पारित नहीं किया गया है।	वर्तकों/ि	नेदेशकों पर किसी न्यायालय
तारीख			
(हस्ताक्षर)			
नाम,	(की प्रास्थिति में)		
(संगठन का नाम और पता प्राधिकृत है ।)के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर :	हस्ताक्षर	करने के लिए सम्यक् रूप से

उपाबंध : 2 प्रतिभूति निक्षेप वचनबंध

इसके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपने निगम/कंपनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हूं/हैं और इस आशय का वचनबंध देने के लिए सशक्त हूं/हैं कि मेरी/हमारी संस्था प्रतिभूति निक्षेप के नवीकरण के समय किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से साविध निक्षेप, मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति निक्षेप जमा करवाएगी। मैं/हम संकलनकर्ता के रूप में नवीकरण किए जाने की तारीख से नए सिरे से प्रतिभूति निक्षेप (यदि पूर्व में जमा नहीं किया गया है) जमा कराने का वचनबंध करता हूं/हैं और यह कि यदि पहले से जमा है तो वह उस अविध तक विधिमान्य बना रहेगा, तत्पश्चात् नए सिरे से प्रतिभूति निक्षेप प्राधिकरण के पास जमा कराया जाएगा।

तारीख		
(हस्ताक्षर)		
नाम,	(,की प्रास्थिति में)	
(संगठन का नाम और पता)प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध प	ार हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से
		(संगठन की सील/मुहर)

उपाबंध : 3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् कार्य प्रदर्शन

पिछले पांच वर्ष के लक्ष्यों का कार्य प्रदर्शन बनाम	लक्ष्य उपलब्धियां
उपलब्धियां	वर्ष 1
	वर्ष 2
	वर्ष 3
	वर्ष 4
	वर्ष 5
पिछले पांच वर्षों के लिए स्थापित्व	
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् के लिए अगले पांच वर्षों की प्रायोजनाएं	मुख्य कारबार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - स्वावलंबन् आवरण
	वर्ष 1 :
	वर्ष 2 :
	वर्ष 3 :
	वर्ष 4 :
	वर्ष 5 :

तारीख	
(हस्ताक्षर)	
नाम,	(,की प्रास्थिति में)
(संगठन का नाम और पता) प्राधिकृत है ।	के लिए और उसकी ओर से इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से.

(संगठन की सील/मुहर)

अनुसूची 6

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015

[विनियम 20(16) देखिए]

संकलनकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन

- 1. व्यक्तिगत सूचना से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है ऐसी कोई सूचना जो किसी अभिदाता से संबंधित है या जिससे अभिदाता की पहचान प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना अनुज्ञात है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है :
 - क. नाम और संपर्क सूचना ;
 - ख. व्यष्टियों की दशा में बायोमीट्रिक सूचना ;
 - ग. वित्तीय उत्पादों में या उनकी अभिधृतियों के संव्यवहारों से संबंधित सूचना ;
 - घ. वित्तीय सेवाएं उपयोग में लाने से संबंधित सूचना ; या
 - ङ. ऐसी अन्य सूचना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

2. संकलनकर्ता -

- (क) किसी अभिदाता से संबंधित व्यक्तिगत सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के उपबंधों के लिए अपेक्षित सीमा से अधिक संगृहीत नहीं करेगा ;
- (ख) अभिदाताओं से संबंधित व्यक्तिगत सूचना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी संव्यवहार से संबंधित सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा ;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम प्रयास करेगा कि किसी अभिदाता से संबंधित कोई व्यक्तिगत सूचना, जो उसके पास है, अद्यतन और पूर्ण है ;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि अभिदाता अपनी व्यक्तिगत सूचना तक, ऐसे किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए, जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, युक्तियुक्त पहुंच बना सकेगा ;
- (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संकलनकर्ता द्वारा धारित व्यक्तिगत सूचना सही, अद्यतन और पूर्ण है, अभिदाताओं को अपनी व्यक्तिगत सूचना में उपांतरण करने का प्रभावी अवसर प्रदान करेगा।
- 3. कोई वित्तीय सेवा प्रदाता किसी अभिदाता की व्यक्तिगत सूचना अन्य पक्षकार को केवल तभी प्रकट कर सकता है यदि-
 - (क) उसके ऐसे प्रकटन के लिए अभिदाता से, अभिदाता को ऐसे प्रकटन से इंकार करने का प्रभावी अवसर देने के पश्चात्, लिखितपूर्व ज्ञात सहमित अभिप्राप्त कर ली हो ;
 - (ख) अभिदाता द्वारा ऐसा प्रकटन किए जाने का निदेश दिया गया है;
 - (ग) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ऐसे प्रकटन का अनुमोदन कर दिया हो या आदेश किया हो और जब तक सुसंगत विधि या विनियमों द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, अभिदाता को ऐसे प्रकटन के विरुद्ध ऐसी विधि या विनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया गया है;
 - (घ) ऐसा प्रकटन किसी विधि या विनियमों के अधीन अपेक्षित हो और जब तक सुसंगत विधि या विनियमों द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, अभिदाता को ऐसे प्रकटन के विरुद्ध ऐसी विधि या विनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया गया है।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AGGREGATOR) REGULATIONS 2015

No. PFRDA/12/RGL/139/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

- 1. Short title, commencement and application.- (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015.
 - The Regulation aims to provide regulatory framework for registration of Aggregators and monitor implementation of National Pension System for the best interest of the target subscribers.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - (3) These regulations shall be applicable to the–NPS-Lite under National Pension System, (also referred to as NPS-Swavalamban), which is a low-cost, feature optimized group model, aimed at unorganised and economically disadvantaged sections of the society. These regulations shall also be applicable for implementation of Government of India "Swavalamaban Scheme" through National Pension System.
- 2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
 - (b) "aggregator" means an intermediary registered by the Authority under sub-section (3) of section 27 of the Act, to perform subscriber interface functions under the National Pension System-Swavalamban, which shall have functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods or services;
 - (c) "auditor" means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (d) "citizen of India" means any person qualified to be a citizen of India under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);
 - (e) "company" means any entity formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)
 - (f) "compliance officer" means a person of responsibility from an aggregator: designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by it of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority, including monitoring of redressal of subscriber grievances;
 - (g) "investment guidelines" mean guidelines and circulars issued by the Authority from time to time having regard to applicable investment pattern and limits thereof;
 - (h) "National Pension System-Lite" means the scheme under National Pension System providing a feature of optimized group model of National Pension System for persons belonging to unorganized sector of which National Pension System-Swavalamban is a component where Government of India co-contribution is admissible.
 - (i) "principal officer means any person who is responsible for the activities of the aggregator and includes—
 - (i) any partner in case of a partnership concern;

- (ii) whole-time director, executive director or managing director, in the case of a body corporate;
- (iii) any key employee; and
- (iv) any person designated as a principal officer by the aggregator;
- (j) "Schedule" means schedule annexed to these regulations.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF AGGREGATOR

- 3. Eligibility criteria for grant of certificate of registration as aggregator.- (1)Subject to the fulfillment of conditions specified under these regulations for grant of certificate of registration, the following entities shall be eligible to be enlisted as an aggregator under the National Pension System:-
 - (a) Nodal offices or entities managing the pension schemes for identified beneficiary groups under the Central and State Governments;
 - (b) scheduled banks, Regional Rural Banks and other Financial Institutions;
 - (c) India Post;
 - (d) Insurance companies;
 - (e) Micro-Finance Institutions(MFIs);
 - (f) Non Banking Finance Companies (NBFCs);
 - (g) Non Government Organizations(NGOs);
 - (h) Entities running common service centers under the National E-Governance plan;
 - (i) Housing Finance Institutions;
 - (j) Any other category as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) Apart from the Central and State Government entities mentioned at clauses (a) and (c) of sub-regulation (1) the entities desirous of taking on the role of an aggregator shall be required to be registered under a Central or State enactment, namely:-
 - (a) Societies Registration Act, 1860(21 of 1860) (including with States amendments of this Act);
 - (b) IndianTrustsAct,1882 (2 of 1882);
 - (c) Charitable and ReligiousTrustsAct,1920 (14 of 1920);
 - (d) Companies Act,1956 (1of 1956) (Section25, for registration of charitable or other company);
 - (e) Companies Act, 1956 (1 of 1956)[with necessary certification from the Reserve Bank of India (for Non Banking Finance Companies (NBFCs), Micro-Finance Institutions (MFIs)];
 - (f) Companies Act, 1956 (1 of 1956) (1 of 1956) or Companies Act, 2013 for any other Company;
 - (g) Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
 - (h) entities created by State or Central Government for any specified group of beneficiaries;
 - (i) entities regulated by National Housing Bank;
 - (j) any other Act or rule as may be specified by the Authority from time to time.
- (3) Any other entity or class of entities, not covered under the provisions of sub-regulation (2), may be registered, if in the opinion of the Authority such entity or class of entities facilitates inclusion of their subscriber base under the National Pension System-Swavalamban and which have established capability with proven track record in the area of their operation.

- (4)The entity shall have been in business of financial services or financial products for at least five years as on date of application with a proven track record. The entity shall be financially viable and shall not have incurred loss in at least three years of the past five years immediately preceding the date of application, and shall not have also incurred cash losses in the immediately preceding two years on the date of application.
- (5)The entity shall have formal governance structure (board, managing committee or equivalent) with members on board having adequate experience in financial services or social development. The board, managing committee or equivalent shall adhere to the provisions contained under the respective Acts, rules or regulations governing such entities as mentioned against them in sub-regulation (2).
- (6) The entity shall be required to have an audit committee or equivalent mechanism under the rules or regulations made under the enactment under which it is functioning.
- (7) The entity shall meet the following net worth criteria:-
 - (a) rupees One Crore for those having been in business for more than five years;
 - (b) for entities having exceptional track record and more than ten years of experience, the net worth criteria may be relaxed to rupees. Fifty Lakh in deserving cases, as may be deemed fit by the Authority.
- (8) The entity shall have capability to manage large customer data base suitable to their organization and meet other technology parameters as may be specified by the Authority from time to time.
- (9) The entity shall have trained staff with sufficient capability as may be specified by the Authority from time to time.
- (10) The entity shall have cash pooling and remittance capabilities as may be specified by the Authority from time to time.
- (11) There shall be no convictions and restraint orders passed by any financial sector regulator or by the court of law in any of the preceding five years. In case of any doubt or conflict on this count and pertaining to the application of registration, the decision of the Authority shall be binding.
- (12) The entity shall provide the business plan to extend the scheme to their underlying subscribers
- (13) The Authority may, as it may deem fit, relax some, or all of the eligibility criteria in case-of entities which are fully or partly controlled by either the Central or any State Government or have been created under any specific arrangement of the Central or State Government or any other entity with proven track record, on a case to case basis, as may be considered necessary in subscribers' interest or for the development of the National Pension System or the pension sector in the country.
- (14) The entity shall have to meet any other criteria as may be specified by the Central Government or the Authority from time to time in the form of resolutions, notifications, circulars, guidelines or memoranda.
- 4. Application for registration. (1)On and from the date of commencement of these regulations, an applicant meeting the eligibility criteria as specified in these regulations for grant of a certificate of registration as an aggregator shall make an application to the Authority along with a non-refundable application fee in Form A as specified in Schedule I or Form B as specified in Schedule II of these regulations.
- (2) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the Form A as specified in Schedule I or Form B as specified in Schedule II of these regulations shall be liable to be rejected:

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

(3) Any Aggregator, which was granted a permission to function as such by the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority prior to the establishment of the Authority under the Act may continue to act as such for a period of ninety days from the notification of these regulations or, if it makes an application for grant of registration within ninety days of notification of these regulation, till the disposal of its application by the Authority.

- 5. Application fee. -The applicant shall submit a non-refundable application fee of rupees ten thousand towards application and administrative fee for processing of application. The application fee shall be paid to the Authority in the manner specified in schedule III. The Authority may, for reasons to be recorded in writing, waive the requirement for payment of application fee in specific and deserving cases.
- 6. Disclosure of information.— (1)The Authority shall have the right to disclose to the public, the information on such application made by the applicant by placing such information on the website as specified by the Authority:

Provided that the other relevant information furnished by the applicant and which relates to commercial confidence and private information of the applicant, which it may state as confidential, may not be disclosed by the Authority, subject to the provisions of any law or rules or regulations or any order or decision pronounced by a court of law or tribunal, as the case may be, mandating such disclosure.

- (2) Any material change in the information furnished or placed on a website under these regulations shall be intimated to the Authority by the applicant promptly but not later than fifteen days of the occurrence of such change.
- 7. Furnishing of information clarification and verification (1). The Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of disposal of the application for grant of certificate of registration, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority. The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with such application.
- (2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time specified in this regard by the Authority.
- (3) While considering the application, the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information by physical verification of documents and office space or inspect the availability of office space.
- (4) For the purpose under sub-regulation (3), the Authority may appoint any person including an auditor.
- 8. Consideration and evaluation of application. –(1) For considering the eligibility of the applicant and grant of certificate of registration to such applicant, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant to the pension sector and National Pension System- Swavalamban, including but not limited to the following -
 - (a) whether the applicant has in the past five years been subjected to any major inquiry proceedings or investigation under the Acts, rules, regulations and bye-laws of any regulator or other authority, as may be applicable;
 - (b) whether the applicant satisfies the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations;
 - (c) whether the grant of a certificate to the applicant is in the interest of the subscribers.

During the course of considering the application under this sub-regulation, the Authority may, if it deems fit, invite the applicant to make a presentation to it at a date, time and place determined by it. The purpose of such presentations would be to allow the applicant to present its proposal to the Authority and to apprise it the key strengths in its proposal.

- (2) Any application for grant of certificate of registration,-
 - (a) which is not complete in all respects and does not conform to the eligibility Criteria specified in these regulations;
 - (b) which does not contain such additional information as may be required by the Authority;
 - (c) which is incorrect, false or misleading in nature;
 - (d) where the applicant is not in compliance with the eligibility requirements specified under these regulations;
 - (e) which in the opinion of the Authority is not in the interest of subscribers or the objective of orderly development of pension sector or the National Pension System;

- (f) where the applicant is not a fit and proper person as stated in Form A as specified in Schedule I or in Form B as specified in Schedule II of these regulations; shall be rejected by the Authority for reasons to be recorded in writing by the Authority.
- (3) Before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity in writing to make good the deficiencies within the time specified for the purpose by the Authority:

Provided that where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate under these regulations or any other regulations for a period of one year from the date of such rejection.

- (4) For the applicant, who satisfies all the eligibility condition after initial evaluation, the Authority shall conduct a due diligence at the applicant's office at such date and time as may be determined by the Authority.
- (5) The Authority may, for the purpose of sub-regulation (4), appoint any person to conduct such due diligence, but not limited to its officers.
- (6) An application for grant of certificate of registration, under this regulation, which is complete in all respects, shall be disposed of by the Authority, within a period of sixty days from the date of receipt of such application.
- 9. Grant of certificate of registration (1)The Authority on being satisfied that the applicant is eligible, shall grant a certificate of registration in the form specified in Schedule IV and send intimation to the applicant in this regard:

Provided that the applicant has submitted the one-time registration fee of rupees twenty-five thousand before a certificate of registration is granted. The Authority may, for reasons to be recorded in writing, waive the requirement for payment of registration fee in specific and deserving cases. Further where a proceeding is pending before the Authority or any court or tribunal, and the result of such proceeding may result in suspension or cancellation of the certificate, the Authority may give a conditional registration.

(2) Subject to compliance with the provisions of the Act, rules and regulations, the certificate of registration granted to an aggregator shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority.

10.Grant of certificate of registration subject to conditions.- (1)Any certificate granted by the Authority to an aggregator shall be subject to the following conditions, namely:—

- (a) where the intermediary proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Authority for continuing to act as an aggregator after such change in status or constitution;
- (b) it shall pay the applicable fees in accordance with the relevant regulations;
- (c) it shall keep a security deposit of such amount with the Authority, as may be specified for due discharge of its obligations;
- (d) it shall abide by the provisions of the Act, rules, regulations, directions, guidelines and circulars as may be issued by the Authority from time to time;
- (e) it shall abide by all the conditions and requirements as may be specified by the Government of India in relation to operation of the National Pension System- Swavalamban scheme;
- (f) it shall meet the eligibility criteria and other requirements specified in the relevant regulations;
- (g) it shall execute such agreements as may be deemed necessary with other intermediaries under the National Pension System or with any other person for effective discharge of its obligations:

Provided that the Authority or the Government of India may impose such other and further conditions as it may deem fit in the interest of subscribers or for orderly growth of the National Pension System.

(2) An aggregator shall, within ninety days before the expiry of five years from the date of registration or date of the payment of renewal fee last accepted by the Authority, make an application in the specified form together with a renewal fee of rupees twenty-five thousand. The Authority may, for reasons to be recorded in writing, permit renewal fee to be paid beyond the specified period, subject to payment of additional fee of rupees one thousand per month. However, no application for extension of time for payment of renewal fee shall be entertained beyond ninety days from the specified date:

Provided that the Authority may, for reasons to be recorded in writing, waive the requirement for payment of renewal fee in specific and deserving cases.

- (3) The application to be filed for payment of renewal fee by an aggregator shall be in the form specified in Schedule V of Form C.
- 11. Effect of refusal to grant of certificate of registration.- (1) Where, on and after the commencement of these regulations, an aggregator referred to in sub-regulation (3) of regulation 4 has failed to obtain registration, or an existing aggregator has not obtained or, has been refused the renewal of certificate (or permission) under these regulations, or has surrendered its certificate or permission or, has been directed to be wound up by an order of a court, such aggregator shall-
 - (a) forth with cease to act as an aggregator;
 - (b) transfer its activities to another aggregator which has been granted a certificate of registration as an aggregator and allow the subscribers to move to the other aggregator as directed by the Authority;
 - (c) make provisions for liability incurred or assumed by the aggregator, if any;
 - (d) take such other action, within such time limit and in such manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority.
- (2) while refusing grant or renewal of certificate of registration, as the case may be, under these regulations to an existing aggregator, the Authority may impose such conditions upon such entity as it deems fit for protection of the interest of subscribers of the aggregator and such conditions shall be complied with.
- 12. Aggregator to submit security deposit.- (1) Each entity registered as an aggregator shall be required to submit a security deposit equivalent to one per cent of its net worth or rupees five lakh, which ever is higher. The maximum security deposit shall not exceed rupees twenty lakhs. The security deposit may be in the form of a demand draft, a bank guarantee from a scheduled commercial bank or in any other form as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) No aggregator shall commence with the process of subscriber registration until it has deposited the security deposit referred to in sub-regulation (1) with the Authority.
- (3) In the event, the Authority is of the prima facie opinion that the aggregator is unable to perform or comply with its obligations under the conditions of certificate of registration or has committed violation of any provisions of the Act, rules or regulations, the Authority may direct the invocation of the security deposit as an interim measure, pending any inquiry or investigation against such aggregator. The proceeds of the security deposit shall be utilized for the protection of interest of the subscribers under the said aggregator in such manner as may be deemed fit by the Authority. This shall be besides any other action which may be taken by the Authority against the aggregator under the provisions of the Act, rules and regulations.
- (4) Where the security deposit has been invoked, as provided under sub-regulation (3) the Authority may direct the aggregator to furnish additional security deposit and the aggregator shall provide the same for due performance of its obligations.
- 13. Revenue model for aggregator.-
- (1) The aggregator shall not be authorized to collect any sum from the subscriber towards their own fee or service charges.
- (2) The aggregator shall receive a fixed sum after each completed year of business or at any interval as may be specified by the Authority from time to time and the same shall be decided on a "Subscriber Acquisition cum Retention Model" approved by the Authority.

- (3) The remuneration shall be based on each individual subscriber who becomes eligible to receive Swavalamban co-contribution under the scheme during the year. The eligibility condition under Swavalamban scheme shall be decided by the Government of India from time to time.
- (4) The remuneration shall be paid by the Authority to each aggregator based on claim submitted by them and verified by the Authority. Procedure for preference of claim, its verification and consequent payment shall be as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER III

DUTIES AND FUNCTION OF AGGREGATOR

- 14. Role and responsibility of aggregator.- (1) The aggregator shall have the following duties, namely:-
 - (a) promotion of National Pension System and awareness about the need for old age income security among its constituent group members;
 - (b) compliance with the 'Know Your Customer' requirements in respect of potential subscribers under the National Pension System;
 - (c) Know Your Customer requirements in case of National Pension System-Swavalamban subscribers, shall be as may be specified by the Authority from time to time;
 - (d) Discharge of responsibilities, relating to transfer of fund and data upload, within such time limit as may be specified from time to time;
 - (e) Collection of contributions from subscribers and ensuring its remittance to Trustee Bank;
 - (f) aggregator shall issue a receipt to the subscriber at the time of collection of fund and proper reconciliation for the same shall be done by the aggregator;
 - (g) ensuring availability of services to its underlying subscribers as mandated under National Pension System-Swavalamban;
 - (h) handling grievances received from subscribers and their resolution in accordance with the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015;
 - (i) dispatch of Permanent Retirement Account Number Card and statement of transaction or any other document to the
 - (j) subscribers within the time limits as specified by the authority from time to time;
 - (k) any other responsibility as may be assigned to the aggregator, by the Authority to ensure protection of subscribers' interest;
 - (l) aggregator shall update its website on periodic basis to provide updated information on National Pension System-Swavalamban to subscribers.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), the following fund collection function shall be performed by the aggregator:—
 - (a) the aggregator shall ensure that credible collection infrastructure is available for its underlying subscribers;
 - (b) each aggregator will open a collection account in the name of "National Pension System Name of the aggregator –Collection Account National Pension System Trust" for which the concerned aggregator has to obtain the necessary approval and documentation from National Pension System Trust. Guidelines on mode and method of operation of such account shall be specified by the Authority from time to time;
 - (c) the amount collected by the 'National Pension System collection Centers' shall be regularly transferred to the designated account of the aggregator as per turnaround time specified by the Authority;
 - (d) the oversight office of the aggregator and its compliance officer shall ensure necessary vigil and due diligence on the entire fund collection process and shall remain responsible for the same;

- (e) all defaults in the cash collection and transfer process causing loss to the subscribers shall be made good by the aggregator in the first instance failing which the same will be made good from the security deposit of the respective aggregator or remuneration due to them, if any.
- (3) Each aggregator shall enter into agreement with the National Pension System Trust for all operation and other requirement as may be specified from time to time and submit the compliance certificate to National Pension System Trust at regular intervals.
- **15. Investment options under National Pension System–Swavalamban.**—The following investment options shall be available under the National Pension System-Swavalamban:-
 - (a) The Authority may, at its discretion and in the interest of subscribers, specify a pre-defined set of asset classes for investment.
 - (b) The subscriber shall have the option to choose the investment mix and Pension Fund through the Aggregator.
 - (c) The option to change the Pension Fund shall be available at a defined periodicity and in the manner to be specified by the Authority.
- **16. Engagement of facilitator.-**(1) An aggregator may, at its discretion engage services of another approved aggregator as a 'facilitator' to operationalise National Pension System-Swavalamban for the target groups.
 - (2) A facilitator may be any organization or entity engaged in the financial services or financial products sector and shall be registered with any financial sector regulator in India. Nodal offices or entities running certain schemes for identified beneficiary groups under the Central and State Governments may also be engaged as a facilitator.
 - (3) No individual shall be registered as a facilitator, except business correspondent whom banks may at their discretion engage as a facilitator.
 - (4) The terms and conditions of engagement between the aggregator and facilitator for specifying the scope of its functions, responsibility and mutual liabilities arising out of National Pension System-Swavalamban shall be decided through a formal memorandum of understanding or contract. The aggregator which engages the facilitator shall continue to be responsible to ensure system and operational level discipline by the facilitator.
 - (5) An aggregator shall be responsible for all acts of omission and commission by the facilitator.
- **17. Appointment of Compliance officer.**–(1) Every aggregator shall appoint a compliance officer, from amongst its senior management level officers, who shall be responsible for monitoring compliance by the aggregator of the provisions of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines or instructions issued by the Authority.
- (2) The compliance officer shall immediately and independently report any non-compliance observed by him to the Authority.
- 18. Maintenance of books and records.-Every aggregator shall keep the following books of accounts:-
 - (a) details of subscriber registration forms received and submitted to the central recordkeeping agency for registration and Permanent Retirement Account Number data generated for all such applicants;
 - (b) details of money received from the subscribers in cash, Demand Draft, cheque or in authorised form of remittance;
 - (c) details of cash held on a daily basis;
 - (d) details of subscriber-wise money remitted to the Trustee Bank,;
 - (e) details of subscriber-wise instructions sent to the central recordkeeping agency,;
 - (f) detail of grievance received and redressed;
 - (g) details of subscriber services requests such as modification or updation of subscriber request i.e. name change request, subscriber claim applications and their onward transmission to the central recordkeeping agency;
 - (h) any other details as may be specified by the Authority from time to time.

19. General obligation. -

An aggregator shall provide to the Authority a certificate duly signed by its compliance officer on annual basis within thirty days of closure of accounts for the financial year. certifying-

- (a) the compliance by the aggregator with all the obligations, responsibilities and the fulfillment of the eligibility criteria on a continuous basis under these regulations and the relevant regulations that all disclosures made in form A or form B and under the relevant regulations are true and complete;
- (b) each aggregator prominently displays a copy of the certificate at all its registered offices;
- (c) the aggregator also prominently displays the name and contact details of the compliance officer to whom complaint may be made in the event of any subscriber grievance.

20. Code of conduct.-The aggregator shall continuously abide by the code of conduct specified below:-

- (1) the aggregator shall avoid conflicts of interest in managing the affairs of the National Pension System -- Swavalamban subscribers and keep the interest of all subscribers paramount in all matters. In case of any conflict between the interests of a subscriber and that of the aggregator or its representative, precedence may be given to the subscribers' interests.
- (2) the subscriber shall be provided with updated information on National Pension System-Swavalamban through fair disclosure mechanism as may be prescribed by the Authority from time to time to enable informed decision making by the subscriber. Conditions of such disclosures will be in the form, periodicity and in the manner specified by the Authority from time to time. The aggregator shall ensure that it has not given any undue or unfair advantage to any associates, facilitator or any entities in any manner detrimental to interest of the subscribers;
- (3) the aggregator shall maintain high standards of integrity and fairness in all its dealings and in conduct of their business. It shall render at all times high standards of service, exercise due diligence which implies standard of skill and care that is commensurate with the honest market practice, good faith, profile of subscriber, the extent of dependency of the subscribers on the aggregator and exercise independent professional judgment;
- (4) the aggregator is prohibited from indulging in unfair conduct i.e. an act of omission that significantly impairs or is likely to significantly impair the ability of a subscriber to make an informed transactional decision and shall include conduct that is misleading or abusive while dealing with subscribers in-
 - (a) providing the subscriber with inaccurate information or information in relation to determinative factor that the aggregator doesn't believe to be true : or
 - (b) providing accurate information to the subscriber in a manner that is deceptive;
 - (c) in determining whether the conduct is misleading under this regulation, the following factors shall be considered to be determinative factors:-
 - (i) the aggregator shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render services or its achievements;
 - (ii) the aggregator shall ensure dissemination of accurate, explicit and timely information/data fairly presented in a simple language as may be specified by the Authority from time to time;
 - (iii) the aggregator shall follow best practices for maintaining books of accounts and records, systems, procedures, risk management systems and safeguards so as to ensure that the affairs are conducted in a manner which is in the best interest of the subscribers;
 - (d) the main characteristics of National Pension System –Swavalamban including its features, benefit and risk to the subscribers;
 - (e) the subscriber needs for National Pension System-Swavalamban or its suitability for the subscriber;
 - (f) right of the subscribers under any law or regulation

- (5) the aggregator shall ensure that—
 - (a) systems are in place in all its concerned offices;
 - (b) key personnel including operational and compliance officer are in place at all times. The contact details of such persons shall be provided to the Authority within fifteen days of the registration;
 - (c) aggregator shall ensure that its employees and key personnel are trained to promote National Pension System-Swavalamban;
 - (d) audit of Aggregator related functions are included in the audit protocol of the organization;
 - (6) compliance officer is entrusted with a responsibility for monitoring the compliance with rules and regulations, notifications, guidelines or instructions issued by the Authority including for redressal of subscribers grievances;
 - (7) a compliance manual and internal control mechanisms including internal audit systems are in place;
 - (8) The aggregator shall not be authorized to collect any sum from the subscribers towards their own fee or service charges;
 - (9) the aggregator shall ensure a credible system of fund collection from the underlying subscriber;
 - (10) the National Pension System- Swavalamban subscriber's complaint reports shall be subject to periodic review or audit to ensure compliance to the Authority's regulations and guidelines;
 - (11) the aggregator shall ensure proper and prompt compliance and assistance to the officers of the Authority or the auditors or any persons appointed by Authority for any inspection of the books of account, records, documents and infrastructure, systems and procedures or to investigate the affairs of the scheme;
 - (12) the aggregator shall ensure that its authorized branches including but not limited to collection center shall also comply with the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) and the rules framed there under, or any other law, as may be specified from time to time;
 - (13) the aggregator agrees that in the event of any delay on the part of aggregator in completing different activities as envisaged or stipulated in detail in the service standards for aggregator provided under this regulation, it shall compensate the subscriber, with for such a period of delay., for failure in observance of its duties and responsibility under this regulation;
 - (14) the aggregator shall establish adequate procedures and facilities to ensure that its records are protected against loss or destruction and arrangements have been made for maintaining back up facilities;
 - (15) the aggregator shall make adequate arrangements for indemnifying the subscribers for any loss that may be caused to such subscribers by the wrongful act, negligence or default of the employees of aggregator;
 - (16) aggregator shall follow the regulation on non disclosure of personal information as specified in Schedule VI.

CHAPTER IV

INSPECTION AND AUDIT

- **21. Inspection and audit.—(1)** The Authority may undertake directly or through its authorized representative an inspection and audit of books, accounts, records including the telephone records and electronic records and documents of the aggregator for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.
- (2) the purposes referred to in sub-regulation (I) may include:—
 - (a) to ascertain the infrastructural capabilities, systems and procedures;
 - (b) to ensure that the books of account, records including telephone records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

- (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the aggregator;
- (d) to ascertain whether the provisions of the Act or the regulations made or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;
- (e) to inquire into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities assigned by the Authority to the aggregator;
- (f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.
- (3) The Authority may, appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (I).

Explanation.-For the purposes of this sub-regulation, the expression "qualified auditor" shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

22. Notice before inspection and audit.- (1) Before undertaking an inspection or audit under regulation 21, the Authority or its authorized representative shall give ten working days notice to the concerned aggregator:

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is required for immediate safeguarding of the interest of the subscribers.

- (2)During the course of an inspection, the aggregator against which the inspection and audit is being carried out shall be bound to discharge its obligations provided in these regulations.
- **23. Obligations of aggregator on inspection and audit.-** (1) It shall be the duty of the aggregator the affairs of which is being inspected or audited, and every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records, and other documents in its custody or control and furnish it or him with such statements and information relating to the activities entrusted to it by the Authority, as it may require, within such reasonable period as may be specified.
- (2) The aggregator shall allow the Authority or its authorized representative, or auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the aggregator or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor are relevant for the purpose of the inspection or audit.
- (3) It shall be the duty of the aggregator to give to the Authority or its authorized representative all assistance in connection with the inspection and audit which the Authority or its authorized representative may reasonably require.
- **24. Submission of report.-** (1) On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, which after consideration of the report, may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.
- (2) The Authority may *suo motu*, or after consideration of the inspection report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.
- **25.Payment of inspection and audit fees.-**The Authority shall be entitled to recover from the aggregator such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken by it directly or through its authorized representative.
- **26.** Inspection and audit by National Pension System Trust.—(1) The National Pension System Trust shall undertake directly or through its authorized representative, inspection or audit or both of the aggregator, on an annual basis or at such other period as may be specified by the Authority in relation to operational Service Level Agreements in accordance with the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015. The aggregator shall allow the National Pension system Trust, or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it, books of accounts, records and provide necessary information as may be required by it for the purpose of such inspection or audit, as the case may be.

CHAPTER V

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT.

- **27.** Cancellation or suspension of certificate of registration.-(1) Where any aggregator, which has been granted a certificate of registration—
 - (a) fails to comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted to it;
 - (b) contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or guidelines, notifications, directions, instructions or circulars issued by the Authority there under;
 - (c) indulges in unfair trade practices or conducts its business in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;
 - (d) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its area of operations;
 - (e) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;
 - (f) does not co-operate in an inquiry conducted by the Authority;
 - (g) fails in the periodic review of its performance in terms of number of new subscriber registrations done by the aggregator in relation to the business plan submitted at the time of registration or against any other uniform criteria applicable to all the registered aggregator;
 - (h) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act,

the Authority may, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, regulations, directions, instructions or circulars issued there under, by order take such action in the manner provided under these regulations including suspension or cancellation or withdrawal of the certificate of registration of an aggregator and such other action, as may be deemed appropriate.

- (2) An aggregator once registered shall have to ensure that the eligibility conditions as mentioned in these regulations are strictly adhered to during the entire currency of the registration period and any extension thereto, failing which the certificate of registration may be cancelled. A certificate evidencing compliance with the eligibility conditions shall have to be furnished by the registered aggregator to the Authority on annual basis within thirty days of closure of accounts for the financial year.
- (3) No order of cancellation, suspension or withdrawal of certificate of registration granted to an aggregator shall be made unless the aggregator has been afforded a reasonable opportunity of hearing.
- **28.** Surrender of any certificate of registration.—(1) Any aggregator, who has been granted a certificate of registration under the Act or the regulations made there under, desirous of giving up its activity and surrendering the certificate of registration, may make a request for such surrender to the Authority.
 - (2) While disposing of a request under these regulations, the Authority may require the concerned aggregator to satisfy the Authority of such factors as it deems fit, including but not limited to the following:
 - (a) the arrangements made by the aggregator at its own costs and expenses for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the Act, regulations and guidelines;
 - (b) redressal of subscriber grievances as per the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015;
 - (c) transfer of records, funds or securities of the subscribers at its own cost and expenses to another aggregator as specified by the Authority;
 - (d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the subscribers;
 - (e) defaults or pending actions, if any.
 - (3) While accepting the surrender request, the Authority may impose such conditions upon the aggregator as it deems fit for the protection of interest of the subscribers of the National Pension System and the aggregator concerned shall comply with such conditions.

- (4) No aggregator shall be permitted to surrender its certificate, in respect of which any action for default has been initiated or has been contemplated by the Authority.
- **29.** Effect of suspension, cancellation or surrender of certificate of registration.—(1) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate, the concerned aggregator shall-
 - (a) not undertake any assignment or collect money or information from the subscriber. During the period of such suspension, it shall cease to carry on any activity in respect of which the certificate of registration had been granted;
 - (b) allow its subscribers to transfer, as the case may be, their money or assignments or allow the National Pension System Trust to withdraw any assignment given to it, without any additional cost;
 - (c) make provisions as regards liabilities incurred or assumed by it;
 - (d) take such other action including the action relating to any records or documents and information or money of the subscribers that may be in the custody or control of such aggregator, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority, while passing the order under these guidelines or otherwise.
 - (2) On and from the date of surrender or cancellation or suspension of the certificate of registration, the concerned aggregator shall—
 - (a) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and shall not represent itself to be a holder of the certificate of registration for carrying out the activity for which such certificate had been granted;
 - (b) cease to carry on any activity in respect of which the certificate had been granted;
 - (c) transfer its activities to another aggregator, as directed by the Authority, holding a valid certificate of registration to carry on such activities and allow its subscribers to transfer their funds to the transferee entity, without any additional cost;
 - (d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
 - (e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such aggregator, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority while passing order under these guidelines or otherwise
 - **30.** Cancellation or suspension of certificate of registration.—Where any aggregator which has been granted a certificate of registration under these regulations-
 - (a) fails to comply with any of the conditions subject to which a certificate of registration has been granted to it;
 - (b) contravenes any of the provisions of the Act or regulations or direction or circulars issued there under;

the Authority may, without prejudice to any action under the Act or regulations or directions or circulars there under, by order take such action in the manner provided under these regulations.

- **31. Appointment of designated authority.** (1) Where it appears to the designated member, that the aggregator or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 27, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager or any other officer of an equivalent rank as a designated authority.
- (2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.
- **32. Issuance of notice.-** (1) The designated authority shall, if he finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the aggregator or any other concerned person requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, shall not be suspended or cancelled or why any other action provided herein shall not be taken.

- (2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.
- (3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.
- (4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.
- **33. Reply by noticee.** (1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

- (2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *exparte* recording the reasons for doing so and make his recommendations as the case may be on the basis of material facts available before him.
- **34. Action in case of default.-** After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions or circulars administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending.—
 - (a) suspension of certificate of registration for a specified period;
 - (b) cancellation of certificate of registration;
 - (c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;
 - (d) debarring a principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other registered person for the period specified in any registered intermediary or other registered person for the period specified in the order;
 - (e) debarring a branch or an office of the noticee from carrying out activities for the specified period;
 - (f) warning the noticee.
- **35. Procedure for action on recommendation.-** (1) On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, shall not be taken.
 - (2) The notice may, within twenty-one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the notice and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.
 - (3) The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.
- **36. Intimation of order.**—(1) Every report made by the designated authority and every order passed by the designated member under these regulations shall be dated and signed.
 - (2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the aggregator or other concerned person and also placed on the website of the Authority.
- **37. Penalty and adjudication.**—The imposition of penalty, if any, on the aggregator or person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for inquiry by adjudicating officer) Regulations, 2015.

38. Appeals to Securities Appellate Tribunal.—The aggregator or any person concerned to the proceedings may if aggrieved by any order passed by the designated member prefer an appeal before the Securities Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 36 of the Act.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression,—

- (a) "designated authority" means an officer of the Authority appointed under subregulation (1) of regulation 31;
- (b) "designated member" means the Chairperson or a whole-time Member of the Authority designated for the purpose.
- (c) "noticee" means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

- **39. Reports and disclosures.** The aggregator shall furnish or provide such reports and disclosure to Authority as it may specify or require from time to time.
- **40. Confidentiality.**-The aggregator shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received by it under the National Pension System- Swavalamban. The aggregator shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law.
- **41. Directions.-**Without prejudice to any order under Chapter V of these regulations, the Authority may, in the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of aggregator, issue, necessary direction including but not limited to any or all of the following: -
 - (a) directing the aggregator to refund any contributions or money collected from the subscribers under National Pension System-Swavalamban scheme with or without interest;
 - (b) any other direction which the Authority may deem fit and proper in the circumstances of the case:

Provided that before issuing any directions the Authority shall give to the persons concerned a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the circumstances warrant that any interim direction is required to be passed immediately, the Authority shall give to the persons concerned a reasonable opportunity of being heard after passing the direction, without any undue delay.

42. Power of the Authority to issue clarifications.-In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications and guidelines in the form of circulars, notifications or guidelines.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./203/14]

SCHEDULE I

FORM A

Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015 [See regulation 4 (1) & (2)]

Application form for grant of certificate of registration

for Government entities

FOR REGISTRATION AS "AGGREGATOR"

UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM (NPS) - SWAVALAMBAN

FOR MEMBERS OF

<ORGANIZATION NAME>

Table of Contents

Covering Letter

Aggregator Compliance Sheet for Government or Government Sponsored Agencies

Annexure 1: Details of Customer Base and Services Rendered

Annexure 2: Commercial Undertaking

Annexure-3: Declaration of Details of Consortium Partner

Covering letter

(to be provided on company/official letter head)

Date DDth Month, YYYY

To

XYZ

Executive Director

Pension Fund Regulatory Development Authority

1st Floor, ICADR Building, Plot No 6

Vasant Kunj Institutional Area

Phase-II, New Delhi-110070

Sub:-Application for Registration as aggregator under National Pension System -Swavalamban

for members of <Organization Name>

Dear Sir/Madam,

I/we, the undersigned, have examined and familiarized myself/ourselves with Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015" and "Operating Guidelines for aggregators" specified by the Authority.

- 2. We are desirous of being registered as an "aggregator under National Pension System Swavalamban" for providing specified services to the potential National Pension System-Swavalamban subscribers belonging to <Organization Name>. We hereby agree to perform activities specified in the "Operating Guidelines for aggregator" and other associated rules/guidelines specified by the Authority from time to time.
- 3. We confirm that we have understood and agree to abide unconditionally by all the requirements as set out in "Pension Fund Regulatory & Development Authority (aggregator) Regulations, 2015".
- 4. Further, we also undertake to sign separate agreement(s) with other intermediaries or any other person in the format specified by the Authority, if required.
- 5. Necessary details with supporting documents are attached with this letter in the specified format for consideration of our request.
- 6. I/we understand that the Authority reserves the right to accept or reject our application.

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to sign this letter as well as other such letters/documents which may be required for registration.

Dated this	Day of	20	
(Signature)			
Name:		(In the capacity of)	
Duly authorized t	to sign the Consent letter	for and on behalf of:	
(Name and Addre	ess of Organization)	(Seal/Stamp of Organization)	

Aggregator Compliance Sheet for Government or Government Sponsored Agencies

Name of the entity				
Status of entity (please tick)	Department of Central Government			
Ref: sub-regulation (2) of	Department of State Government			
regulation 3	Central Government Autonomous Bo	odies		
	State Government Autonomous Bod	ies		
	Others, if any (pls. Specify)			
Registered address				
Existing customer base and Services rendered		Details in Annexure 1 is provided		
		Yes		
		☐ No		
Commercial Undertaking	Entity is entitled for receiving	Commercial undertaking		
Ref: regulation 13	remuneration as specified by the Authority	in Annexure 2 is provided		
		Yes		
		☐ No		
Detail this Desait	20			
Dated this Day of	20			
(Signature)	(In the country of			
Name:	(In the capacity of)			
Duly authorized to sign this underta	-			
(Name and Address of Organization				
Annexure 1: Details of beneficiary	·			
An entity shall provide details cove				
♣ Types of services provided♣ Details of netextial subscribe		C11		
♣ Details of potential subscribers/ target groups for National Pension System-Swavalamban ♣ National Pension System-Swavalamban				
National Pension System-Swavalamban subscriber base projections for next five years				
Year 1:				
Year 2:				
Year 3:				
Year 4:				
Year 5:				
	Annexure 2: Commercial Undertaking			

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our organization and empowered to provide this undertaking that my institution, if registered as an aggregator under National Pension System-Swavalamban by the Authority, the (entity) shall not charge any fees/service charge from subscribers for providing National Pension System -Swavalamban services.

We also confirm that we would only receive fixed sum towards these services, as specified by the Authority in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015".

This commitment is valid for the entire duration of the registration period and any extension granted thereto.

I/We commit to provide information regarding services provided by my/our organization at such intervals as may be specified by Authority from time to time.

SCHEDULE II

FORM B

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 4(1)&(2)]

Application form for grant of certificate of registration

for Non-Government entities

APPLICATION

FOR REGISTRATION AS "AGGREGATOR" UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM (NPS) SWAVALAMBAN

FOR MEMBERS OF <ORGANIZATION NAME>

Table of Contents

Covering Letter

Aggregator Compliance Sheet

Annexure 1: Details of Customer Base and Services Rendered

Annexure 2: Legal Undertaking

Annexure 3:: Commercial Undertaking

Annexure 4: Format for providing Governance Structure

Annexure 5: Technical & Manpower Capacity Undertaking

Annexure 6: Business Plan for National Pension System-Swavalamban

Annexure 7: Format for seeking exemption/relaxation of any eligibility criteria

Covering Letter

(to be provided on company/official letter head)

Date DDth Month, YYYY

То

XYZ

Executive Director

Pension Fund Regulatory Development Authority

1st Floor, ICADR Building, Plot No 6

Vasant Kuni Institutional Area

Phase-II, New Delhi-110070

Sub:-Application for Registration as aggregator under National Pension System-Swavalamban for members of <Organization Name>

Dear Sir/Madam,

I/we, the undersigned, have examined and familiarised myself/ourselves with "Pension Fund Regulatory & Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015" and "Operating Guidelines for Aggregators" specified by the Authority

- 2. I/We are desirous of being enlisted as an "aggregator under National Pension System-Swavalamban" for providing specified services to the potential National Pension System-Swavalamban subscribers belonging to <Organization Name>. We hereby agree to perform activities specified in "Operating Guidelines for Aggregator" and other associated rules/guidelines specified by Authority from time to time.
- 3. I/We confirm that we have understood and agree to abide unconditionally by all the requirements as set out in "Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015.
- 4. Further, we also undertake to sign separate agreement(s) with other intermediaries or any other person in the format specified by the Authority, as specified by the Authority.
- 5. Necessary details with supporting documents are attached with this letter in specified format for consideration of our request.
- 6. I/we understand that the Authority reserves the right to accept or reject our proposal without assigning any reason thereof.

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to sign this letter as well as other such letters/documents which may be required for registration.

Dated this	Day of	20
(Signature)	_	
Name:		(In the capacity of)
Duly authorized to sign	the Consent letter for ar	nd on behalf of:
(Name and Address of	Organization)	(Seal/Stamp of Organization)

II. Aggregator Compliance Sheet

Name of the Entity		
Entity is Registered with (please tick)	Societies Registration Act 1860 (or a State amendment of this Act)	Attested copy of such
Ref: sub-regulation (2) of	Indian Trusts Act, 1882	certificate is provided
regulation 3	Charitable and Religious Trusts Act, 1920	Yes
	Banking Regulations Act, 1941	☐ No
	Companies Act, 1956 (section 25, for not for profit companies)	
	Companies Act 1956 with necessary certification from RBI (for NBFCs)	
	Companies Act, 1956, for any other company	
	Entities created by State/Central Govt. for any specified group of Beneficiaries.	
	Entities regulated by NHB.	

	Others, if any (pls. specify)	
Registered Address		I
Entity Background	Dominant promoter group details covering share holding patterns	Organization Brief provided (on a separate sheet) Yes No
Entity is in business of financial services Ref: sub-regulation (4) of regulation 3	As on date of application, Less than 5 Years 5 to 10 Years More than 10 Years	Balance Sheet of last 3 years provided Yes No
Entity has net-worth of	As on date of application	Net-worth
Ref: sub-regulation (7) of regulation 3	Rs. 50 Lakh and above Equal to or more than Rs. 1 Crore	Certificate from Chartered Accountant is provided
		Yes No
Existing customer base and Services Rendered		Statement in Annexure 1 is provided Yes No
Entity financial status	Whether entity has incurred losses in at least 3 years of the past	ite years.
Ref: sub-regulation (4) of regulation 3	Yes No Please specify number of years in which the entity has during previous five years,	·
Legal Undertaking	Absence of convictions and restraint orders by any financial	Declaration in
Ref: sub-regulation (11) of regulation 3	sector regulator or by the court of the law in any of the preceding 5 years.	Annexure 2 is provided Yes No
Commercial Undertaking	Entity is entitled for receiving remuneration as specified by	Commercial
Ref: regulation 13	the Authority	undertaking in Annexure 3 is provided Yes No
Governance Structure	Entity shall have formal governance structure (Board,	Details in
Ref: sub-regulation (5) of	Managing Committee or equivalent) with members having adequate experience in financial services / social	Annexure 4 is provided

regulation 3	development and adequate capacity to handle financial Activities.			
Technical & Manpower Capacity	Entity shall have adequate technical infrastructure to perform National Pension System activities and shall have sufficient Annexure 5 is			
Ref: sub-regulation (8)& (9) of regulation 3	trained stat	f with sufficient capability	provided Yes No	
Buisness plan	Entity shal	l submit an business plan, Annexure 6 is provided		
Ref: sub-regulation (12) of	∫ Ye	•		
regulation 3				
Seeking		seeking relaxation in Eligibility criteria, Annexure 7	' is provided	
exemption/relaxation of any eligibility criteria	☐ Ye	rs	T	
Ref: sub-regulation (13) of regulation 3				
Dated this Day	of	20		
(Signature)				
Name: (In the capacity of) Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of: (Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization) Annexure 1: Details of Customer Base and Services Rendered				
Existing Customer Count acr	oss all			
Services (as on date of applic which would be covered under Pension System–Swavalamba	ation) er National			
Types of Services Rendered t	o existing	Financial		
customer base		Non Financial		
		☐ Both Financial & Non Financial		
List of Services Provided		(pls. use additional sheets if necessary)		
Five year projections for Cus		Core business National Pension System coverage		
base(for its core business) are for National Pension System-	-	Year 1:		
Swavalamban coverage		Year 2:		
-		Year 3:		
		Year 4		
		Year 5		
Data demonstrating cash handling capacity		Please furnish details to demonstrate existing capab proposed capacity building(if any) to undertake Na System -Swavalamban work	-	
Any other details demonstrate customer/cash handling capacitation	_			

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

Annexure 4: Format for providing Governance Structure

An entity shall provide details of its Governance structure covering:

- 1. Board structure
- 2. List of Independent directors (if mandated under the relevant statute governing the entity.)
- 3. Monitoring mechanism
- 4. Cash handling/monitoring mechanism

- 5. Mechanism for detection/control of frauds etc.
- 6. Customer grievance redressal process
- 7. Any other relevant matter

Annexure 5: Technical & Manpower Capacity Undertaking

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that my/our institution, is having necessary technical & manpower capacity for providing National Pension System-Swavalamban services.

We have in every branch, adequate IT Infrastructure for accessing the central recordkeeping agency system. We also have necessary infrastructure and capability to demonstrate and electronically transmit National Pension System subscriber contribution and information as per specified timelines. We also have capability to establish necessary back office systems, procedures and software for receiving transaction requests and upload into the central recordkeeping agency system, issuing of acknowledgment etc. as laid down in operating guidelines.

I/We undertake to facilitate inspection/due diligence by officer authorised by the Authority as specified by the Authority from time to time.

We also declare that all individuals assigned on National Pension System related activities have necessary capability and would be trained on all operational issues to ensure proper discharge of National Pension System related responsibilities before their deployment

Dated this	Day of	20
(Signature)		
Name:		(In the capacity of)
Duly authorized t	o sign this undertaking fo	r and on behalf of:
(Name and Addre	ess of Organization)	(Seal/Stamp of Organization)
	Annexure 6: Rusiness P	lan for National Pension System-Swavalamban

<u>Objective</u>			<u>Description</u>
Γarget groups			
Promotion Strateg	y		
Distribution Strate	egy (Convergence of e onal Pension System-	•	
Persistency Maintenance Strategy			
Special activities, if any, that would be undertaken to promote National Pension System–Swavalamban across various target groups/geographical areas			
Any other note			
Dated this	Day of	20	
(Signature)			
Name:			(In the capacity of)
Duly authorized to	lf of: (Name and Address of Organization)		

(Seal/Stamp of Organization)

Annexure-7: Format for seeking exemption/relaxation of any eligibility criteria

S.No	Reference in (Clause No. &	_	Extent of Deviation	on Br	ief Reason
1.					
Dated this	Day o	of 2	0		
(Signature)_					
Name:			(In the capaci	ity of)	
Duly authori	ized to sign this u	ndertaking for and or	n behalf of:		
(Name and A	Address of Organi	zation) (S	Seal/Stamp of Organ	nization)	
		SCI	HEDULE III		
		Pension Fund Res	gulatory and Devel	opment	
		Authority (aggre	egator) Regulations	s, 2015	
		[See	regulation 5]		
Fees payabl	e to the Pension	Fund Regulatory a	nd Development A	uthority by the agg	regator
		t thousand only in t Authority" and pa			
It is hereby confirmed that I/we are submitting rupee ten thousand only in the form of DD drawn in favour of "The Pension Fund Regulatory and Development Authority" and payable at New Delhi					
Name of Th	e Organization	DD No	DD date	Bank Name	Amount
I/we understand that the amount paid towards application fee is non-refundable					
Dated this	Day o		0		
	Jame: (In the capacity of)				
Duly authori	ized to sign this u	ndertaking for and or	n behalf of:		

(Seal/Stamp of Organization)

(Name and Address of Organization)

SCHEDULE IV

Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 9 (1)]

Co	REG. Noertification of registration as an aggregator for National Pension System- Swavalamban.
1.	In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby grants this certificate of registration and commencement of business to M/s. (name of the entity), as an aggregator under the National Pension System.
2.	The registration code for the aggregator is
3.	This registration shall be valid subject to conditions specified in the certificate of registration under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015.
te:	
lace:	New Delhi
	By Order
	For and on behalf of the PFRDA
	Authorised Signatory

SCHEDULE V

[See regulation 10(2)&(3)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (FORM C)

RENEWAL FORM

UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM - SWAVALAMBAN FOR MEMBERS OF <ORGANIZATION NAME>

Table of Contents

Covering Letter

Aggregator Compliance Sheet

Annexure 1: Legal Undertaking

Annexure 2: Security deposit Undertaking

Annexure 3: National Pension System-Swavalamban Performance

Covering letter

(to be provided on company/official letter head)

Date DDth Month, YYY

To

XYZ

Executive Director

Pension Fund Regulatory Development Authority

1st Floor, ICADR Building, Plot No. 6

Vasant Kunj Institutional Area

Phase-II, New Delhi-110070

Sub:-Renewal of Registration as Aggregator under National Pension System-

Swavalamban for members of <Organization Name>

Dear Sir/Madam.

- I/We are desirous to continue our registration as an Aggregator under "National Pension System-Swavalamban" for providing prescribed services as specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations-2015, operational guidelines and other associated rules, guidelines/instructions issued by the Authority.
- Necessary details with supporting documents, including prescribed fee, are attached with this letter in specified format for consideration of our request.
- 6. I/we understand that the Authority reserves the right to accept or reject our request.

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to sign this letter as well as other such letters/documents which may be required for registration.

Dated this	Day of	20	
(Signature)			
Name:		(In the capacity of)	
Duly authorized to	sign the Consent letter	for and on behalf of:	
(Name and Address	ss of Organization)	(Seal/Stamp of Organization)	
	Δα	gregator Compliance Sheet	

Name of the entity		
Entity has net-worth of	As on date of application for renewal	Net-worth Certificate
Ref: sub-regulation (7) of	Rs Lakh and above	from Chartered Accountant is
regulation 3	Equal to or more than Rs 1 Crore	provided
		Yes
		☐ No
Entity financial status	Whether entity has incurred losses in at least 3 years of the	past five years
Ref: sub-regulation (4) of	Yes	
regulation 3	☐ No	

	Number of years for which loss was incurred to be indicated			
Legal Undertaking	Absence of convict	ions and restraint orders by any	Declaration in	
Ref: sub-regulation (11)		ulator or by the court of the law in	Annexure 1 is	
of regulation 3	any of the precedin	g 5 years.	provided	
			Yes	
			☐ No	
security deposit in the			Undertaking in	
form of bank			Annexure 2 is	
guarantee/ fixed			provided	
deposit/ Demand draft			Yes	
from any scheduled				
commercial bank in the favour of Pension Fund			☐ No	
Regulatory and				
Development Authority				
Performance for last 5			Statement in	
years and projected			Annexure 3 is	
targets for next 3 years			provided	
			Yes	
			□ No	
			INO INO	
Dated this Dated (Signature)	ay of	20		
Name:		(In the capacity of)		
Duly authorized to sign thi	s undertaking for and	l on behalf of:		
(Name and Address of Org	ganization)	(Seal/Stamp of Organization)		
Annexure 1: Legal Under	rtaking			
and empowered to provid	le this undertaking t o major strictures h	o act on behalf of our corporation/con that no penalties have been imposed ave been passed by any court of law years.	on our organisation/its	
Dated this Da	ay of	20		
(Signature)				
Name:		(In the capacity of)		
Duly authorized to sign thi	s undertaking for and	l on behalf of:		
	_	(Seal/Stamp of Organization)		

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

Annexure 2: Security deposit Undertaking

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that my/our institution, will submit a security deposit in the form of a fixed deposit, demand draft or a bank guarantee from any scheduled commercial bank at the time of renewal of the security deposit. I/We undertake to submit a fresh security deposit (if not submitted earlier) w.e.f. date of renewal as an Aggregator or the security deposit already submitted will remain valid for the period, after which fresh security deposit will be submitted to the Authority.

Dated this	Day of	20	
(Signature)			
Name:		(In the capacity of)	
Duly authorized to	sign this undertaking f	for and on behalf of:	
(Name and Address	s of Organization)	(Seal/Stamp of Organization)	

Annexure 3: National Pension System-Swavalamban Performance

Performance for last five years	Target	Achiev	rement
Targets v/s achievement	Year 1		
	Year 2		
	Year 3		
	Year 4		
	Year 5		
Persistency for last 5 years			
Next five years projections for		Core business	National Pension System-
National Pension System - Swavalamban	Swavalam	ban coverage	
	Year 1:		
	Year 2:		
	Year 3:		
	Year 4		
	Year 5		

Dated this	Day of	20	
(Signature)			
Name:		(In the capacity of)	
Duly authorized	to sign this undertaking f	or and on behalf of:	
(Name and Addr	ess of Organization)	(Seal/Stamp of Organization)	

SCHEDULE VI

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 20(16)]

Disclosure of personal information by Aggregator

- 1. Personal information means and includes any information that relates to a subscriber or allows a subscriber's identity to be inferred, directly or indirectly, and includes:
 - a. name and contact information;
 - b. biometric information, in case of individuals;
 - c. information relating to transactions in, or holdings of, financial products;
 - d. information relating to the use of financial services; or
 - e. such other information as may be specified by regulations.
- 2. An Aggregator shall-
 - (a) not collect personal information relating to a subscriber in excess of what is required for the provision of a National Pension System;
 - (b) maintain the confidentiality of personal information and information relating to any transaction under National Pension System relating to subscribers
 - (c) make best efforts to ensure that any personal information relating to a subscriber that it holds is accurate, up to date and complete;
 - (d) ensure that subscribers can obtain reasonable access to their personal information, subject to any exceptions that the Pension Fund Regulatory and Development Authority may specify; and
 - (e) allow subscribers an effective opportunity to seek modifications to their personal information to ensure that the personal information held by the Aggregator is accurate, up to date and complete.
- 3. A financial service provider may disclose personal information relating to a subscriber to a third party only if
 - (a) it has obtained prior written informed consent of the subscriber for the disclosure, after giving the subscriber an effective opportunity to refuse consent;
 - (b) the subscriber has directed the disclosure to be made;
 - (c) the PFRDA has approved or ordered the disclosure, and unless prohibited by the relevant law or regulations, the subscriber is given an opportunity to represent under such law or regulations against such disclosure;
 - (d) the disclosure is required under any law or regulations, and unless prohibited by such law or regulations, the subscriber is given an opportunity to represent under such law or regulations against such disclosure.